झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान–सभा
अष्टम् (बजट) सत्र
वर्ग–03

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, शनिवार, दिनांक– 08 माघ,1938 (श0) / 28 जनवरी, 2017 (ई0) को झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0स0	विभागों को संसूचित की गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06.
355.	पथ–44	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	सड़क का निर्माण	पथ निर्माण	17.01.17
356.	पथ–34	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	संवेदक पर कार्रवाई	पथ निर्माण	14.01.17
357.	पथ–40	श्री केदार हजरा	पथ का सुदृढ़ीकरण	पथ निर्माण	17.01.17
358.	पथ–36	श्री पौलुस सुरीन	पुल का निर्माण	पथ निर्माण	15.01.17
359.	ग्राम–79	श्रीमती मेनका सरदार	दोषियों पर कार्रवाई	ग्रामीण विकास	21.01.17
360.	पेय–24	डॉ0 इरफान अंसारी	चापाकल की मरम्मति	पेयजल एवं स्वच्छता	15.01.17
361.	भ–08	श्री राज कुमार यादव	दोषियों पर कार्रवाई	भवन निर्माण	14.01.17
362.	पथ–48	श्री राज सिन्हा	सड़क एवं बायपास का निर्माण	पथ निर्माण	19.01.17
363.	पेय–26	श्री नलिन सोरेन	योजना का जीर्णोद्धार	पेयजल एवं स्वच्छता	15.01.17
364.	ग्राम–49	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	पुल का निर्माण	ग्रामीण विकास	14.01.17
365.	ग्राम–66	डॉ0 इरफान अंसारी	सड़क की मरम्मति	ग्रामीण विकास	14.01.17
366.	पेय–33	श्री शिव शंकर उराँव	दोषी अधिकारी पर कार्रवाई	पेयजल एवं स्वच्छता	17.01.17
367.	पथ–42	श्री राम कुमार पाहन	उच्च स्तरीय जाँच	पथ निर्माण	17.01.17
368.	ग्राम–57	डॉ0 जीतु चरण राम	पथ का निर्माण	ग्रामीण विकास	14.01.17
369.	ग्राम–63	श्री योगेन्द्र प्रसाद	प्रखण्ड का गठन	ग्रामीण विकास	15.01.17
370.	ग्राम–77	श्री जय प्रकाश सिंह भोगता	भवन का निर्माण	ग्रामीण विकास	17.01.17
371.	पथ–24	श्री फूलचन्द मंडल	पथ का निर्माण	पथ निर्माण	12.01.17
372.	पथ–23	श्री अरूप चटर्जी	पथ का निर्माण	पथ निर्माण	12.01.17

क्र0पृ030/–

373.	भ-09	श्री आलोक कुमार चौरसिया	भवन की जाँच	भवन निर्माण	15.01.17
374.	न-15	डॉ0 जीतु चरण राम	सड़क एवं नाली का निर्माण	नगर विकास	14.01.17
375.	ग्राम-22	श्री दशरथ गागराई	पुल का निर्माण	ग्रामीण विकास	12.01.17
376.	परि-04	श्री अमित कुमार	परमिट जारी करना	परिवहन	12.01.17
377.	न -21	श्रीमती गीता कोड़ा	अमृत योजना लागू करना	नगर विकास	17.01.17
378.	ग्राम-53	श्री शशि भूषण सामाइ	पुल का निर्माण	ग्रामीण विकास	14.01.17
379.	पथ-41	श्री केदार हजरा	पथ की मजबूतीकरण	पथ निर्माण	17.01.17
380.	न-29	श्री रामचन्द्र सहिस	समुचित व्यवस्था करना	नगर विकास	22.01.17
381.	पथ-25	श्री फूलचन्द मंडल	पथ का चौड़ीकरण	पथ निर्माण	12.01.17
382.	ग्राम-06	श्री योगेश्वर महतो	पुल पुलिया का निर्माण	ग्रामीण विकास	07.01.17
383.	ग्राम-54	श्रीमती विमला प्रधान	सूचीबद्ध करना	ग्रामीण विकास	14.01.17
384.	पेय-32	श्री शिव शंकर उराँव	हैण्ड पम्प की मरम्मति	पेयजल एवं स्वच्छता	17.01.17
385.	पेय-10	श्री रबीन्द्र नाथ महतो	जलमीनार का निर्माण	पेयजल एवं स्वच्छता	11.01.17
386.	पेय-30	श्री हरिकृष्ण सिंह	पेयजल की आपूर्ति	पेयजल एवं स्वच्छता	17.01.17
387.	पथ-49	श्री मनोज कुमार यादव	पथ का निर्माण	पथ निर्माण	22.01.17
388.	ग्राम-74	श्री चम्पाई सोरेन	आवास का पुर्ननिर्माण	ग्रामीण विकास	17.01.17
389.	पेय-23	श्री योगेन्द्र प्रसाद	योजना का पुर्नगठन	पेयजल एवं स्वच्छता	15.01.17
390.	ग्राम-59	श्री निरल पूरती	पथ का निर्माण	ग्रामीण विकास	14.01.17
391.	पथ-47	श्री जानकी प्रसाद यादव	पथ का निर्माण	पथ निर्माण	19.01.17
392.	न-23	श्री मनीष जायसवाल	कचरा प्रबंधन की व्यवस्था	नगर विकास	17.01.17
393.	न-24	श्री ढुलू महतो	दुकान का आवंटन	नगर विकास	17.01.17
394.	न-25	श्री राधाकृष्ण किशोर	सुविधा उपलब्ध कराना	नगर विकास	17.01.17
395.	पेय-35	श्री राम कुमार पाहन	मुआवजा का भुगतान	पेयजल एवं स्वच्छता	19.01.17
396.	पथ-43	श्रीमती गीता कोड़ा	पथों का निर्माण	पथ निर्माण	17.01.17
397.	परि-05	श्री निरल पूरती	दंड ऑन लाईन जमा कराना	परिवहन	14.01.17
398.	पथ-31	श्री ताला मराण्डी	मुआवजा का भुगतान	पथ निर्माण	14.01.17
399.	परि-06	श्री मनीष जायसवाल	बस स्टैण्ड का निर्माण	परिवहन	17.01.17
400.	न-19	श्री नवीन जयसवाल	सड़क का निर्माण	नगर विकास	14.01.17
401.	पथ-09	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता	पदाधिकारी पर कार्रवाई	पथ निर्माण	12.01.17
402.	पेय-29	श्री चम्पाई सोरेन	पेयजल की व्यवस्था	पेयजल एवं स्वच्छता	17.01.17
403.	न-18	श्री नवीन जयसवाल	पेयजल आपूर्ति करना	नगर विकास	14.01.17
404.	ग्राम-19	श्री रबीन्द्र नाथ महतो	पदाधिकारी का पदस्थापन	ग्रामीण विकास	12.01.17
405.	ग्राम-12	श्री दशरथ गागराई	अंचल कार्यालय का निर्माण	ग्रामीण विकास	12.01.17

'क'- अवर निर्माण विभाग से कुमी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में स्थानांतरित।
'ख'- पथ निर्माण विभाग से ग्रामीण विकास विभाग में स्थानांतरित।
'ग'- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से नगर विकास एवं आवास विभाग में स्थानांतरित।
'घ'- परिवहन विभाग से नगर विकास एवं आवास विभाग में स्थानांतरित।

406.	ग्राम-70	श्री नलिन सोरेन	पुल का निर्माण	ग्रामीण विकास	15.01.17
407.	ग्राम-36	श्री अमित कुमार	पुल का निर्माण	ग्रामीण विकास	12.01.17
408.	न -10	श्री राज सिन्हा	पार्क का पुनरूद्धार	नगर विकास	12.01.17
409.	ग्राम-78	श्री सुखदेव भगत	पदाधिकारियों पर कार्रवाई	ग्रामीण विकास	19.01.17
410.	पेय-31	श्री जय प्रकाश सिंह भोगता	जलाशय का जीर्णोद्धार	पेयजल एवं स्वच्छता	17.01.17
411.	न-04	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता	पदाधिकारी का पदस्थापन	नगर विकास	12.01.17
412.	ग्राम-41	श्री ताला मराण्डी	प्रमाण-पत्र जारी करना	ग्रामीण विकास	14.01.17
413.	ग्राम-44	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	बाधाएँ दूर करना	ग्रामीण विकास	14.01.17
414.	पथ-52	श्री मनोज कुमार यादव	उच्चस्तरीय सेतु का निर्माण	पथ निर्माण	22.01.17
415.	ग्राम-45	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी	सड़क का निर्माण	ग्रामीण विकास	14.01.17
416.	ग्राम-81	श्रीमती जोबा मांझी	सड़क का जीर्णोद्धार	ग्रामीण विकास	22.01.17
417.	पेय-27	श्री आलोक कुमार चौरसिया	जलापूर्ति सुनिश्चित करना	पेयजल एवं स्वच्छता	15.01.17
418.	परि-01	श्री योगेश्वर महतो	वाहनों पर कार्रवाई	परिवहन	07.01.17
419.	ग्राम-31	श्री अरूप चटर्जी	पथ का जीर्णोद्धार	ग्रामीण विकास	12.01.17
420.	ग्राम-80	श्री कुणाल षड़ंगी	पदाधिकारियों का स्थानांतरण	ग्रामीण विकास	21.01.17
421.	ग्राम-75	श्री हरिकृष्ण सिंह	पुल का निर्माण	ग्रामीण विकास	17.01.17
422.	का-15	श्री जगरनाथ महतो	भवन का निर्माण	भवन निर्माण	14.01.17
423.	ग्राम-73	श्रीमती विमला प्रधान	फंड का आवंटन	ग्रामीण विकास	17.01.17
424.	ग्राम-25	श्री अशोक कुमार	पथ का निर्माण	ग्रामीण विकास	12.01.17

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

राँची,
दिनांक-28 जनवरी, 2017 ई0।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-05/15- ....1008..../वि0स0,राँची,दिनांक- 25/01/2017

प्रतिलिपिः- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/मुख्यमंत्री/ मंत्रिगण/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.01.17
(अनिल कुमार)
उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-05/15- ....1008..../वि0स0,राँची,दिनांक- 25/01/2017

प्रतिलिपिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/ प्रभारी सचिव महोदय एवं अपर सचिव (प्रश्न) को सूचनार्थ प्रेषित।

25.01.17
उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-05/15- ....1008..../वि0स0,राँची,दिनांक- 25/01/2017

प्रतिलिपिः- कार्यवाही शाखा, बेवसाईट शाखा, ऑन लाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

25.01.17
उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा,राँची।

355

मा0, स0वि0स0, श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी द्वारा दिनांक 28.01.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ–44 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि गढ़वा शहर से होकर गुजरने वाली NH 75 पर हजारों भारी वाहनों के परिचालन होने से एवं यातायात घनत्व ज्यादा होने से आए दिन दुर्घटनाएँ होते रहती है इसका मूल कारण बाईपास सड़क का नहीं होना है ; 2. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गढ़वा शहरवासियों को जाम से निजात दिलाते हुए एवं दुर्घटना पर अंकुश लगाते हुए गढ़वावासियो को सुगम यातायात के लिए बाईपास सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	गढ़वा बाई–पास का डी0पी0आर0 तैयार कर लिया गया है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को प्रेषित किया जाना प्रक्रियान्तर्गत है ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–45 / 2017 674(5) राँची / दिनांक : 27/1/17

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 674 दिनांक 17.01.2017 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 00 अतिरिक्त चक्रवालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/01/2017

सरकार के संयुक्त सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–45 / 2017 674(5) राँची / दिनांक : 27/1/17

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/01/2017

सरकार के संयुक्त सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(356)

मा0, स0वि0स0, श्रीमती गंगोत्री कुजूर द्वारा दिनांक 28.01.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ–34 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि राजधानी राँची में सड़क चौड़ीकरण और नाली निर्माण का कार्य कराया जा रहा है ; 2. क्या यह बात सही है कि नाली निर्माण और उसके ढलाई के क्रम में बिना नालियों की सफाई किए ही उसकी ढलाई कर दी जा रही है ; 3. क्या यह बात सही है कि उक्त कार्य में स्थानीय लोगों, पार्षद की शिकायतों के बावजूद उस पर समुचित कदम नहीं उठाए जाते हैं और संवेदक द्वारा लापरवाही से कार्य किया जाता है ; 4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार समुचित मापदंडों के अनुसार नाली निर्माण और ढलाई से पूर्व उसके साफ--सफाई कराए जाने और इस कार्य में दोषी संवेदक के खिलाफ कदम उठाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	पथ निर्माण विभाग द्वारा केवल विभाग द्वारा निर्मित पथों पर आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार नाली का निर्माण कराया गया है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–36 / 2017 675(1) राँची / दिनांक : 27 / 1 / 17

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 460 दिनांक 14.01.2017 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

27/01/2017

सरकार के संयुक्त सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।
27.1.17

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–36 / 2017 675(1) राँची / दिनांक : 27 / 1 / 17

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

27/01/2017

सरकार के संयुक्त सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।
27.1.17

(357)

मा0, स0वि0स0, श्री केदार हाजरा द्वारा दिनांक 28.01.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ–40 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत देवरी प्रखण्ड के भेलवाघाटी मोड़ से बिहार सीमा तक के पथ की लम्बाई करीब 24 कि0मी0 है ; 2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त पथ की लम्बाई अधिक रहने के कारण ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा रख–रखाव नहीं होने से पथ की स्थिति काफी जर्जर है, साथ ही उक्त दो राज्यों (बिहार एवं झारखण्ड) के सीमाओं को जोड़ती है ; 3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भेलवाघाटी मोड़ से बिहार सीमाना तक के पथ को ग्रामीण कार्य विभाग से अधिग्रहित कर पथ निर्माण विभाग द्वारा सुदृढ़िकरण, मजबूतीकरण कराने पर विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	वर्त्तमान में यह पथ, पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–41 / 2017 6351(1) राँची / दिनांक : 25/1/17

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 278 दिनांक 17.01.2017 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

25/1/17
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–41 / 2017 6351(1) राँची / दिनांक : 25/1/17

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

25/1/17
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

358

मा0, स0वि0स0, श्री पौलुस सुरीन द्वारा दिनांक 28.01.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ–36 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला के बानो प्रखंड तथा खूँटी जिला के रनिया प्रखंड के जोड़नेवाली लसिया टिंबर मोड भाया बेड़ाइरगी पथ जो 32 कि0मी0 का निर्माण हो रहा है ; 2. क्या यह बात सही है कि बानो प्रखंड और रनिया प्रखंड के सीमाना कोयल नदी है जिस पर पुल नहीं होने के कारण पथ का जन उपयोगी नहीं हो पा रही है ; 3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बेड़ाइरगी गाँव के समीप कोयल नदी पर पुल बनाना चाहती है जो रनिया मुख्यालय को जोड़ती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	यह पथ ग्रामीण कार्य विभाग से हस्तांतरित कर विभाग द्वारा निर्मित किया जा रहा है । यह पुल निर्मित हो रहे पथ के अंतिम छोर पर है । विभाग द्वारा अगले चरण में इस पुल के निर्माण की कार्रवाई की जाएगी ।

झारखण्ड सरकार
थ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–37/2017 637(1) राँची/दिनांक : 25/1/17

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 552 दिनांक 15.01.2017 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 20 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

25/1/17

सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–37/2017 637(1) राँची/दिनांक : 25/1/17

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

25/1/17

सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(359)

दिनांक 28.01.2017 को माननीय स०वि०स० श्रीमती मेनका सरदार द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–79

	प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
	श्रीमती मेनका सरदार, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के पोटका प्रखंडाधीन ग्रामीण पथ आसनबनी नीमपुरा चौक से तिलामुड़ा तक पथ का निर्माण NPCC के द्वारा कराया जा रहा था, जो विगत 4 वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित पथ का निर्माण पूर्ण नहीं होने से ग्रामीणों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड–1 में वर्णित पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने तथा दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यो?	प्रश्नाधीन पथ गोविन्दपुर जादुगोड़ा से तिलामुड़ा तक पथ निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पंचम चरण के पैकेज सं0–JH-0605 के अंदर स्वीकृत है। संवेदक द्वारा कार्य नहीं करने के कारण एकरारनामा को विखंडित कर दिया गया है। मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–102 / 17 ग्रा0का0मा0.....839.....राँची / दिनांक–.....25-1-17

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–853, दिनांक–21.01.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/1/17

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–102 / 17 ग्रा0का0मा0.....839.....राँची / दिनांक–.....25-1-17

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/1/17

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–102 / 17 ग्रा0का0मा0.....839.....राँची / दिनांक–.....25-1-17

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/1/17

सरकार के उप सचिव।

(360)

माननीय विधायक श्री इरफान अंसारी, स॰ वि॰ स॰ द्वारा दिनांक 28.01.2017 को सदन में उठाये जाने वाले तारांकित प्रश्न सं॰ पेय–24 का उत्तर

क्र॰ सं॰	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाले उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिलान्तर्गत कुल 640 चापाकल, विशेष मरम्मति नहीं होने के कारण ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है;	अस्वीकारात्मक। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल जामताड़ा अन्तर्गत कुल चापाकल की चालू नलकूपों की संख्या–12,750 है। जिले की कुल आबादी–7,91,042 है। प्रति 62 व्यक्तियों पर एक चापाकल अवस्थित है जबकि राष्ट्रीय मानक के अनुसार 150 व्यक्ति पर एक चापाकल अनुमान्य है, जो पर्याप्त है। इस तरह अतिरिक्त चापाकल का औचित्य नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि निम्नांकित आवंटन वित्तीय वर्ष 2015–16 का है– जामताड़ा–122, करमाटांड़–47, नारायणपुर–135, नाला–158, कुंडहित–135 और फतेहपुर–75;	वस्तुस्थिति यह है कि गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि से विभागीय स्वीकृत्यादेश सं. 93 दिनांक 10.03.2016 द्वारा निर्गत स्वीकृति आदेश में जामताड़ा प्रमण्डल हेतु 431 अद्द नलकूपों का पुनर्स्थापन/नये नलकूप निर्माण स्वीकृत था। इसके अतिरिक्त गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा वर्ष 2016 में जिला के उपायुक्त को ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जामताडा को 1,93,11,225 रुपये उपलब्ध करायी गयी थी। विगत ग्रीष्म ऋतु में आवश्यकता आधारित ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा राज्य के सभी उपायुक्तों को Untied Fund के रुप में 32.00 करोड़ रू. उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें उपायुक्त जामताड़ा को 1.00 करोड़ रू. उपलब्ध करायी गयी थी। इससे भी कार्य किया गया है।
3	यदि उपरोक्त खंड़ों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार 640 चापाकल विशेष मरम्मति (SR) स्वीकृत कर शीघ्र लगवाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं?	कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखंड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः 8/वि॰ स॰ (ता॰)–08/2017 – 106/SWSM राँची, दिनांक 20-1-17

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 558 वि॰ स॰ दिनांक 15.01.2017 के क्रम में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/1/17
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः–8/वि॰ स॰ (ता॰)–08/2017 – 106/SWSM राँची, दिनांक 20-1-17

प्रतिलिपिः–सरकार के उप सचिव/अवर सचिव (प्र॰ – 5)/विधानसभा कोषांग के प्रभारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(361)

श्री राजकुमार यादव, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.01.2017 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–भ0–08 के कंडिकावार उत्तर प्रतिवेदनः–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है कि राँची स्थित आई0टी0आई0, हेहल के सी0ई0ओ0 बिल्डिंग के रिनोवेशन का टेन्डर बिना स्वीकृति के ही किया गया है?	अस्वीकारात्मक। कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल संख्या–2 राँची के पत्रांक–85अनु0,दिनांक–16.01.2016 द्वारा प्रतिवेदित है कि उक्त कार्य की निविदा तकनीकी स्वीकृति के पश्चात् की गयी है, जो विभागीय पत्र संख्या–1806(भ) दिनांक–10.08.2013 के अनुरूप है।
2.	क्या यह बात सही है कि बिना प्रशासनिक स्वीकृति के किसी भी योजना का टेन्डर करना नियम विरूद्ध व संज्ञेय अपराध है।	अस्वीकारात्मक। भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक–1806(भ),दिनांक–10.08.2013 के उप कंडिका–1, में निहित प्रावधान के अन्तर्गत योजनाओं के लिए प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त निविदा की कार्रवाई की गई है। उक्त पत्र के आलोक में जबतक प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है तबतक एकरारनामा एवं कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।
3.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त कार्य का टेन्डर गत माह अक्टूबर में ही भवन प्रमण्डल संख्या–2 द्वारा किया गया था तथा संवेदकों द्वारा टेन्डर भी डाला गया है?	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इस मामले की एस0आई0टी0 से जाँच कराकर दोषियों पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका–4 का उत्तर उपर्युक्त वर्णित कंडिकाओं में समाहित है।

झारखण्ड सरकार
भवन निर्माण विभाग।

ज्ञापांक–भ0–3–विधायी–08/17 214(70) /राँची, दिनांक– 20/01/2017 ~~2017~~

प्रतिलिपि– श्री शरद सहाय, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्र संख्या–535 दिनांक–14.01.17 के प्रसंग में (200 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/1/2017

उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(362)

मा0, स0वि0स0, श्री राज सिन्हा द्वारा दिनांक 28.01.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ–48 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला मुख्यालय में बाईपास सड़क एवं फ्लाईओवर नहीं है ; 2. क्या यह बात सही है कि धनबाद शहर के बीचों–बीच होकर, राँची, बोकारो, कोलकाता, उड़ीसा, साहेबगंज की सड़क गुजरती है, जिससे शहर के बीचों–बीच भारी वाहनों के आवागमन होने से जाम की स्थिति एवं दुर्घटना होती रहती है ; 3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार धनबाद शहर के बाहर से भारी बाहनों के गुजरने हेतु बाईपास सड़क का निर्माण एवं शहरों में फ्लाईओवर बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	धनबाद शहर के यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के उद्देश्य से रेलवे के साथ मिलकर एक फ्लाईओवर निर्माण हेतु कार्रवाई की जा रही है। उपयोगिता प्रतिवेदन (Feasibility report) के पश्चात् अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–48 / 2017 678(1) राँची / दिनांक : 27/1/17

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 780 दिनांक 19.01.2017 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

27/01/2017

सरकार के संयुक्त सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।
27.1.17

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–48 / 2017 678(1) राँची / दिनांक : 27/1/17

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

27/01/2017

सरकार के संयुक्त सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।
27-1-17

(363)

श्री नलिन सोरेन, मा0स0वि0 सभा0 द्वारा दिनांक– 28.01.2017 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 26 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला के अन्तर्गत काठीकुंड प्रखण्ड कार्यालय/बाजार व शिकारीपाड़ा प्रखण्ड कार्यालय/बाजार में डीप बोरिंग कराकर पाईप लाईन द्वारा जलापूर्ति योजना के तहत् पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई गयी थी;	वस्तुस्थिति यह है कि :– I. दुमका जिलान्तर्गत काठीकुण्ड प्रखण्ड कार्यालय स्थित ग्रामीण जलापूर्ति योजना से प्रखण्ड मुख्यालय एवं नकटी ग्राम आच्छादित है। वर्तमान में योजना चालू है। काठीकुण्ड मुख्यालय स्थित बाजार तेलियाचक ग्रामीण जलापूर्ति योजना से आच्छादित है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार तेलियाचक बाजार की कुल आबादी 2611 है। वर्तमान में 33 अदद् नलकूपों से जलापूर्ति की जाती है, जो मानक के अनुसार पर्याप्त है। II. दुमका जिलान्तर्गत शिकारीपाड़ा प्रखण्ड कार्यालय स्थित ग्रामीण जलापूर्ति योजना चालू है। NH चौड़ीकरण के कारण पाईप क्षतिग्रस्त हो गया है फलस्वरूप आंशिक जलापूर्ति की जा रही है। शिकारीपाड़ा बाजार एवं ग्रामीणों के लिए शिकारीपाड़ा पुनर्गठन ग्रामीण जलापूर्ति योजना का निविदा सम्पन्न हो गया है। शीघ्र ही कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा। रूपये 155.68 लाख की योजना राज्य योजना से स्वीकृत है। शिकारीपाड़ा ग्राम की कुल आबादी 3116 है जिसे 42 अदद् नलकूपों से जलापूर्ति की जा रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त प्रखंडों के तहत् शुरू कराया गया पाईप लाईन जलापूर्ति योजना विगत पाँच वर्षों से मरम्मति नहीं होने के कारण बंद है;	विभाग सभी योजनाओं को चालू रखने के लिए सतत् कार्यरत है। गृह–संयोजन बढ़ाने का भी कार्य किया जा रहा है।
3.	क्या यह बात सही है कि गर्मी के दिनों में जलस्तर कम होने के कारण उपरोक्त प्रखण्डों /बाजारों के नागरिकों को पीने के पानी के लिए काफी दिक्कत है;	अस्वीकारात्मक।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त प्रखण्ड/बाजारों के बंद पड़े ग्रामीण पाईप लाईन जलापूर्ति योजना का जीर्णोद्धार कर चालू करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका– 1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता0प्र0– 01–24/2016– 503 राँची, दिनांक :– 27/1/17

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 556 दिनांक– 15.01.2017 के कम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/1/17
(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता0प्र0– 01–24/2016– 503 राँची, दिनांक :– 27/1/17

प्रतिलिपि :– उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/1/17
(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव।
27/01/17

(364)

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0–28.01.2017 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–49

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, माननीय स0वि0स0	**श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।**
1. क्या यह बात सही है कि गढ़वा–रंका विधानसभा के प्रखण्ड रमकण्डा के रक्सी दाहो पथ में बड़की नदी पर एवं रंका रमकण्डा मुख्य पथ में हाठु नदी पर पुल निर्माण की आवश्यकता है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–(1) में वर्णित दोनों नदीयों पर पुल नहीं होने से बरसात के दिनों में दर्जनों गाँव मुख्यालय से कट जाते हैं एवं आवागमन बाधित हो जाती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपरोक्त खण्ड–(1) के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–(1) में वर्णित पथों में पड़ने वाले नदीयों पर अविलम्ब पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कब तक, नही, तो क्यों ?	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में एक पुल की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। अगले वित्तीय वर्ष में बजटीय उपबंध के आलोक में प्रश्नांकित पुल की स्वीकृति के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 18/2017/ग्रा0का0 850 राँची, दिनांक : 25-1-17

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–575 वि0स0 दिनांक 14.01.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नन्द कुमार ठाकुर)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 18/2017/ग्रा0का0 850 राँची, दिनांक : 25-1-17

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 18/2017/ग्रा0का0 850 राँची, दिनांक : 25-1-17

प्रतिलिपि : विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

(365)

दिनांक 28.01.2017 को माननीय स०वि०स० डॉ0 इरफान अंसारी द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–66

	प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
	डॉ0 इरफान अंसारी, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि जामताड़ा प्रखण्ड अन्तर्गत रि फेक्टरी मोड़ से कटंकी (3 कि0मी0) सड़क की स्थिति बहुत ही दयनीय होने के कारण आवागमन बाधित है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त सड़क का मरम्मति कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यो?	प्रश्नाधीन पथ पी0एम0जी0एस0वाई0 के 14वें चरण (बैच–3) के अन्तर्गत रामबाड़ी से कटंकी पथ के नाम से स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–64 / 17 ग्रा0का0मा0.....842.....राँची / दिनांक–...25-1-17

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–534, दिनांक–14.01.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–64 / 17 ग्रा0का0मा0.....842.....राँची / दिनांक–...25-1-17

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–64 / 17 ग्रा0का0मा0.....842.....राँची / दिनांक–...25-1-17

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

366

माननीय श्री शिवशंकर उराँव, स॰ वि॰ स॰ द्वारा दिनांक 28.01.2017 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं॰ पेय–33 का उत्तर

क्रं॰ सं॰	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाले उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गुमला के अरमई पंचायत स्थित गाँव अरमई नेवाटोली में सामुदायिक जलापूर्ति योजना का कार्य हुआ है;	स्वीकारात्मक, वस्तुस्थिति यह है कि– गुमला प्रखण्ड के अन्तर्गत ग्राम अरमई नेवा टोली में वर्ष 2011–12 में लघु ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना का निर्माण किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त गाँव के सामुदायिक जलापूर्ति योजना अब तक प्रारम्भ नहीं की जा सकी है;	अस्वीकरात्मक। वर्त्तमान में जलापूर्ति योजना चालू है।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त योजना के आरंभ नहीं होने से ग्रामीण जलापूर्ति योजना से वंचित है;	अस्वीकरात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खंड़ों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त योजना को करने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कमांक–2 एवं 3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। ग्रामीण हाऊस कनेक्शन ले सकते हैं।

झारखंड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः 8/वि॰ स॰ (ता॰)–10/2017 138/SWSM राँची, दिनांक 27/1/17

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 685 वि॰ स॰ दिनांक 17.01.2017 के क्रम में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.1.17
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः–8/वि॰ स॰ (ता॰)–10/2017 138/SWSM राँची, दिनांक 27/1/17

प्रतिलिपिः– सरकार के उप सचिव/अवर सचिव (प्र॰ – 5)/विधानसभा कोषांग के प्रभारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.1.17
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

367

मा0, स0वि0स0, श्री राम कुमार पाहन द्वारा दिनांक 28.01.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ–42 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत सिकिदीरी रोड इंटेक मोड़ से गेतलसूद बाँध तक पथ निर्माण विभाग द्वारा सड़क का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य किया जा रहा है ; 2. क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क निर्माण कार्य में घोर अनियमितता बरती जा रही है जिस कारण सड़क बनने के साथ खराब होते जा रहा है एवं पुलिया तथा गार्डवाल आदि के निर्माण में निम्न स्तर के सामग्रियों का प्रयोग किया जा रहा है ; 3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सड़क की उच्च स्तरीय जाँच कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	मुख्यालय स्तर से टीम गठन कर जाँच करायी जायेगी। अनियमितता पाये जाने पर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–43 / 2017 676(5) राँची / दिनांक : 27 / 1 / 17

प्रतिलिपिः– अवर सचिव झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 676 दिनांक 17.01.2017 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 100 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/01/2017

सरकार के संयुक्त सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–43 / 2017 676(5) राँची / दिनांक : 27 / 1 / 17

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/01/2017

सरकार के संयुक्त सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।
27.1.17

(368)

दिनांक 28.01.2017 को माननीय स०वि०स० डॉ0 जीतू चरण राम द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–57

	प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
	डॉ0 जीतू चरण राम, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि कांके विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बुड़मू प्रखण्ड के मुरूपीरी बाजार टांड़ से कठरिया भाया मुण्डा टोली एवं डोंगासरई पथ अति जर्जर है एवं घनी आबादी वाला क्षेत्र है जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है, कि जर्जर रोड के कारण आमजनों एवं सुरक्षा कर्मियों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड–1 में वर्णित पथ का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो?	अगले वित्तीय वर्ष में बजटीय उपबंध एवं मा0स0वि0स0 से प्राप्त प्राथमिकता सूची के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–73 / 17 ग्रा0का0मा0.....845.....राँची / दिनांक–....25-1-17

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–512, दिनांक–14.01.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/01/17

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–73 / 17 ग्रा0का0मा0.....845.....राँची / दिनांक–....25-1-17

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/01/17

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–73 / 17 ग्रा0का0मा0.....845.....राँची / दिनांक–....25-1-17

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/01/17

सरकार के उप सचिव।

(371)

मा0, स0वि0स0, श्री फूलचन्द मंडल द्वारा दिनांक 28.01.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ–24 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला अन्तर्गत बलियापुर–भीखराजपुर–बिनोद बिहारी महतो चौक से सिन्दरी गोशाला मुख्य पथ–हीरक पोईंट तक लगभग 10 किलोमीटर पथ अधूरा है ;	स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त संदर्भित पथ का निर्माण झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद के निधि से होना है तथा मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग द्वारा पथ निर्माण हेतु लगभग 51 करोड़ रूपये की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है ;	इस कार्य के डी0पी0आर0 को झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा तैयार कराया गया है, जिसकी तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन द्वारा रूपये 41,41,06,000/– (एकतालिस करोड़ एकतालिस लाख छः हजार रूपये) की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है ।
3. क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित पथ के निर्माण हेतु अभी तक मुख्य प्रबंधक (असैनिक) झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद एवं उपायुक्त धनबाद से प्रशासनिक स्वीकृति नहीं प्राप्त है ; 4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में उक्त अधूरा पथ का प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए राशि विमुक्त कर पथ का निर्माण करवाना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा अबतक प्रशासनिक स्वीकृति की सूचना प्राप्त नहीं है ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–24/2017 ....636(1).... राँची/दिनांक : 25/1/17

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 278 दिनांक 12.01.2017 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

25/1/17

सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–24/2017 ....636(1).... राँची/दिनांक : 25/1/17

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

25/1/17

372

मा0, स0वि0स0, श्री अरूप चटर्जी द्वारा दिनांक 28.01.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न प्रश्न सं0 – पथ–23 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत निरसा प्रखण्ड के पोद्दारडीह–शंकरडीह (PWD) पथ लम्बाई 35 कि0मी0 जो निरसा, पूर्वी टुण्डी, एवं गोविन्दपुर प्रखण्ड मुख्यालयों को जोड़ती आवागमन हेतु एक बहुत ही उपयोगी पथ है ; 2. क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित पथ पर निर्माण कार्य हेतु प्राक्कलन एवं तकनीकि स्वीकृति प्राप्त हो चुका है, परन्तु आज दिनांक 05.01.2017 तक भी इस पर निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है; 3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित पथ पर अविलम्ब निर्माण कार्य प्रारंभ कराने की मंशा रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	यह पथ, पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है । ग्रामीण विकास विभाग से पथ के हस्तांतरण के पश्चात् निधि की उपलब्धता के आधार पर अगले वित्तीय वर्षों में पथ के निर्माण पर विचार किया जा सकेगा ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–23 / 2017 ....638(1).... राँची / दिनांक : 25/1/17

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 290 दिनांक 12.01.2017 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित् ।

25/1/17
सरकार के उप सचिव ।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–23 / 2017 ....638(1).... राँची / दिनांक : 25/1/17

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित् ।

25/1/17
सरकार के उप सचिव ।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची ।

374

डॉ० जीतू चरण राम, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–28.01.2017 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–न0–15 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिला अन्तर्गत काँके विधानसभा क्षेत्र के मोरहाबादी स्थित हरिहर सिंह रोड में गोकुल धाम अपार्टमेन्ट के पीछे गंदे पानी का जमाव वर्ष भर रहता है ;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि गंदे पानी के जमाव के चलते विभिन्न प्रकार के संक्रामक बीमारियों के फैलने की संभावना है ;	स्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त पथ से आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	स्वीकारात्मक है।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सड़क एवं नाली का निर्माण वित्तीय वर्ष 2015–2016 में कराने कि इच्छा रखती है, यदि हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	सिवरेज एवं ड्रेनज योजना जोन–1 के तहत प्रश्नगत पथ पर नाली निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया था तथा लगभग 180 मी0 लम्बाई में ड्रेनेज का निर्माण किया गया है परन्तु स्थानीय जन विरोध के कारण कार्य बंद करना पड़ा। स्थानीय नागरिकों के साथ हुए समझौता के उपरान्त हरिहर सिंह रोड परिक्षेत्र का Survey, design एवं Drawing तैयार कर लिया गया है। पुनः कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर समस्या का निदान कर लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–05 / न०वि० / तारांकित–12 / 2017 577 राँची, दिनांक– 20/01/17

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप सं० प्र०–545 / वि०स० दिनांक–14.01.2017 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/01/17
सरकार के अवर सचिव।

375

श्री दशरथ गागराई, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0–28.01.2017 को पूछे जाने वाला
तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–22

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री दशरथ गागराई, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसांवा जिले के सिंदुकोपा एवं सामरोम के बीच नदी पर पुल निर्माण कार्य विभाग द्वारा प्रस्तावित है ;	अस्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पुल के बनने से काफी संख्या में ग्रामीण लाभान्वित होंगे ;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सिंदुकोपा एवं सामरोम के बीच पुल निर्माण कार्य को इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में एक पुल की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। अगले वित्तीय वर्ष में माननीय स0वि0स0 से प्रश्नांकित पुल की अनुशंसा प्राप्त होने पर बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 27 / 2017 / ग्रा0का0 848 राँची, दिनांक : 25-1-17

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–294 वि0स0 दिनांक 12.01.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नन्द कुमार ठाकुर)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 27 / 2017 / ग्रा0का0 848 राँची, दिनांक : 25-1-17

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 27 / 2017 / ग्रा0का0 848 राँची, दिनांक : 25-1-17

प्रतिलिपि : विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची

(376)

दिनांक 28–01–2017 को श्री अमित कुमार, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–परि०–04 की उत्तर सामग्रीः–

	प्रश्नकर्त्ता **श्री अमित कुमार माननीय स०वि०स०**		***उत्तरदाता*** **श्री सी० पी० सिंह माननीय मंत्री, परिवहन विभाग**
1	क्या यह बात सही है कि सिल्ली से राँची, डाल्टेनगंज, बोकारो, धनबाद एवं राज्य के अन्य जिलों में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द० छो० प्रमण्डल, राँची द्वारा निजी बस संचालन हेतु कुल 17 परमिट निर्गत किया गया है;	–	स्वीकारात्मक है । सिल्ली से विभिन्न स्थानों के लिए 17 (सत्रह) परमिट निर्गत किये गये हैं ।
2	क्या यह बात सही है कि विभाग के ज्ञापांक–877, दिनांक–26.07.2016 द्वारा उक्त स्थलों हेतु एक भी बस संचालन नहीं किये जाने एवं माह अगस्त, 2016 की बैठक में मोटर गाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा–86 के प्रावधनों के तहत् परमिट रद्द करने की बात कही गयी थी परन्तु अब तक इनका परमिट रद्द नहीं किया गया है;	–	बस ऑनर्स के द्वारा 8 (आठ) बसों के परमिट को प्रत्यार्पित (Surrender) कर दिया गया है। 4 (चार) बसों के परमिट की बैधता अवधि समाप्त हो चुकी है । शेष 5 (पॉच) बस मालिकों को निर्गत बस परमिट में निर्धारित स्थान सिल्ली से बस परिचालित करने का आदेश दिया गया है ।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में ही इनका परमिट रद्द करते हुए बस संचालन हेतु नया परमिट निर्गत करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	–	यदि बस मालिकों द्वारा सिल्ली से बस परिचालन नहीं किया जाता है, तो वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही परमिट रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी एवं सिल्ली से बस परिचालन हेतु यदि बस मालिकों द्वारा आवेदन दिया जाता है, तो नया परमिट निर्गत किया जाएगा ।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–परि०वि०(वि०स०प्र०)–08 / 2017 157 **/ राँची,दिनांक** 24/1/17

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय राँची को उनके ज्ञापांक–314 दिनांक 12.01.2017 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24.01.17
सरकार के अवर सचिव

16.12.2015

377

श्रीमती गीता कोड़ा, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–28.01.2017 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–न०–21 का उत्तरः–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि अमृत योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए केन्द्र सरकार से राज्य को 188 करोड़ रूपये मिलने थे ;	अस्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2016–17 में अमृत योजना अंतर्गत केन्द्र सरकार से झारखण्ड राज्य को 42.704 करोड़ रू० मिलने थे, जिसके विरूद्ध राज्य को 45.84 करोड़ रू० प्राप्त हुआ है। इस योजना अंतर्गत शहरी सुधार हेतु किये गये कार्यों हेतु पुरस्कार के रूप में भी राज्य को 7.28 करोड़ रू० प्राप्त हुआ है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव नहीं भेजने के कारण खण्ड–1 में वर्णित योजना का कार्यान्वयन राज्य में नहीं को सका ;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि इस योजना हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित करते हुए राशि प्राप्त की गई है एवं योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। झारखण्ड द्वारा प्रेषित प्रस्ताव भारत सरकार के वेबसाईट amrut.gov.in पर देखा जा सकता है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित योजना को अमली जामा पहनाने हेतु उक्त राशि (रू० 188 करोड़) प्राप्त करने तथा केन्द्र सरकार को समय पर प्रस्ताव नहीं भेजने के दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक। उपर्युक्त कंडिका–1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक :–5 / वि०मं०प्र०(ता०)–17 / 2017 न०वि०आ० 586 राँची, दिनांक :– 20.01.17

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–667 दि०–17.01.2017 के प्रसंग में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/1/17
सरकार के अवर सचिव।

Sunanda/E/Vidhan Sabha-Answer-20

378

श्री शशि भूषण सामाड, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0–28.01.2017 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–53

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री शशि भूषण सामाड, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि पश्चिम सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर प्रखण्ड के बाईपी पंचायत में सोम्बरा और ईचाकुटी के बीच ग्राम–तुईदिरी में संजय नदी पर पुल नहीं रहने से उक्त क्षेत्र के निवासियों को आवागमन में कठिनाई होती है, उक्त क्षेत्र अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र है ;	स्वीकारात्मक।
2. यदि उक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त स्थल पर शीघ्र पुल का निर्माण करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में पुल की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। अगले वित्तीय वर्ष में माननीय स0वि0स0 से प्रश्नांकित पुल की अनुशंसा प्राप्त होने पर बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 17/2017/ग्रा0का0 849 राँची, दिनांक : 25-1-17

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–513 वि0स0 दिनांक 14.01.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नन्द कुमार ठाकुर)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 17/2017/ग्रा0का0 849 राँची, दिनांक : 25-1-17

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं सम वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 17/2017/ग्रा0का0 849 राँची, दिनांक : 25-1-17

प्रतिलिपि : विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

379

मा0, स0वि0स0, श्री केदार हाजरा द्वारा दिनांक 28.01.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ–41 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत जमुआ प्रखण्ड के डोमन पहरी पी0डब्लू0डी0 पथ से तारा, चुगलो, धुरगड़गी खरीडीह एवं मरगोड़ा होते हुए विजयडीह, खरखटी पी0डब्लू0डी0 पथ तक की लम्बाई करीब 25 कि0मी0 है ; 2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 के पथ लम्बाई अधिक रहने के कारण ग्रामीण कार्य मामले द्वारा पथ को पथ निर्माण विभाग में स्थानान्तरित कर दिया गया है ; 3. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त पथ की स्थिति काफी जर्जर है जिससे आम जनता को आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ; 4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित पथ को सुदृढ़ीकरण एवं मजबूतीकरण कराने पर विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	वर्त्तमान में यह पथ, पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–42 / 2017 639(1) राँची / दिनांक : 25/1/17

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 675 दिनांक 17.01.2017 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित् ।

25/1/17

सरकार के उप सचिव ।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–42 / 2017 639(1) राँची / दिनांक : 25/1/17

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित् ।

25/1/17

सरकार के उप सचिव ।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची ।

(380)

श्री रामचन्द्र सहिस, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–28.01.2017 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–न0–29 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत जुगसलाई नगरपालिका अत्यधिक घनी आबादी का क्षेत्र है ;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि जुगसलाई नगरपालिका क्षेत्र के अधिकांश पक्की सड़क जर्जर स्थिति में है तथा क्षेत्र में साफ–सफाई की अभाव में गंदगी का अम्बार लगा रहता है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। जुगसलाई नगरपालिका को सड़क निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में 66,76,389/–रू० एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 में 52,48,230/–रू० आवंटित किये गये है। इसके अलावे वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में 2,48,194/–रू० आवंटन की कार्रवाई की जा रही है। इससे जुगसलाई में जर्जर सड़कों की मरम्मती करा ली जायेगी। बचे हुए सड़कों की मरम्मती वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवंटित राशि से करा ली जायेगी। जुगसलाई नगरपालिका अन्तर्गत नियमित सफाई कर्मी के अतिरिक्त 20 सफाई कर्मी Outsource के माध्यम से सफाई कराया जा रहा है। नगरपालिका कार्यालय में सफाई से संबंधित शिकायत पुस्तिका में दर्ज शिकायत के आलोक में अगले ही दिन शिकायत का निष्पादन करा दिया जाता है। नगरपालिका द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस में कचड़े का उठाव किया जाता है। परंतु घनी आबाद/व्यवसायिक क्षेत्र होने के कारण कचरा उठाने के कुछ समय पश्चात् ही गंदगी नजर आने लगती है। उक्त समस्या के निदान हेतु जनवरी, 2017 से Door to Door Garbage collection की व्यवस्था की गयी है।
3	क्या यह बात सही है कि जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र के बलदेव बस्ती, चुनाभट्टा पार्वती घाट में पक्की सड़क बनाने की आवश्यकता है ;	अस्वीकारात्मक है। जुगसलाई नगरपालिका अन्तर्गत बलदेव बस्ती चुना भट्टा, पार्वती घाट अवस्थित नही है।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जुगसलाई नगरपालिका क्षेत्र में पक्की सड़क, साफ–सफाई एवं स्ट्रीट लाईट की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	नगरपालिका क्षेत्र में M/s ESSL LED स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन का निर्णय लिया गया है। इस हेतु तैयार DPR पर तकनीकी स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। वर्त्तमान में उपलब्ध स्ट्रीट लाईट की आवश्यकतानुसार मरम्मती कराकर आमजन का पथ प्रकाश की सुविधा दी जा रही है। नगरपालिका क्षेत्र में जर्जर सड़कों की समस्या का निदान नगरपालिका को वित्तीय वर्ष 2016–17 में आवंटन एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 में होनेवाले आवंटन के द्वारा कर लिया जायेगा। साफ–सफाई की समस्या का निदान नगरपालिका द्वारा Door to Door Garbage collection द्वारा कर लिया जायेगा। साथ ही नगरपालिका क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–5/न०वि०/तारांकित–20/2017.....719..... राँची, दिनांक– ....25/01/17....

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप सं० प्र०–888/वि०स० दिनांक–22.01.2017 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/01/17

सरकार के अवर सचिव।

(381)

श्री फूलचन्द मण्डल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.01.2017 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–पथ–25 की उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री फूलचन्द मण्डल, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के गोविन्दपुर प्रखण्ड अन्तर्गत गोरगा मोड़ से जी0टी0 रोड तक 06 कि0मी0 तक पथ का निर्माण विभाग द्वारा किया गया था;	अस्वीकारात्मक यह पथ जिला के गैर समेकित योजना मद से बना था।
2. क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित पथ की चौड़ाई 10 फुट है तथा यह पथ डोमनपुर काल्हर पथ को गोरगा मोड़ से जोड़ती है;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि उक्त पथ आस–पास के कई ग्रामों को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ती है तथा इस पथ पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिदिन होता है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित खण्ड–1 में वर्णित पथ का चौड़ीकरण करते हुए निर्माण करवाना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	प्रश्नाधीन पथ के संबंध में अगले वित्तीय वर्ष में बजटीय उपबंध एवं मा0स0वि00स0 से प्राप्त प्राथमिकता सूची के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–121/2017 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)..847..राँची, दिनांक..25-1-17

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–285 दिनांक–12.01.17 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/1/17

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–121/2017 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)..847..राँची, दिनांक..25-1-17

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/1/17

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–121/2017 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)..847..राँची, दिनांक..25-1-17

प्रतिलिपि– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/1/17

सरकार के उप सचिव।

382

श्री योगेश्वर महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.01.17 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम–06 की उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री योगेश्वर महतो, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1. क्या यह बात सही है कि चिलगड्डा पंचायत के गोपालपुर–नावाडीह आर0ई0ओ0 पथ के गोपालपुर कुड़ामघुटु होते हुए बहियाबेड़ा एवं कुड़ामघुटु से कुकुरतोपा तक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रामीण सड़क एवं पुल/पुलिया का निर्माण जनहित में अति आवश्यक हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि बहियाबेड़ा एवं कुकुरतोपा के अनुसूचित जाति के लोग बरसात के दिनों में पुल/पुलिया के अभाव में जोरिया में अत्यधिक पानी के चलते लोग अपने घरों में सिमट जाते है, जिससे विद्यार्थियों, ग्रामीणों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त पथ/पुल एवं पुलिया का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रश्नाधीन पथ/पुल एवं पुलिया के संबंध में अगले वित्तीय वर्ष में बजटीय उपबंध एवं माननीय स0वि0स0 के प्राथमिकता सूची के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–23/2017 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0).....838.....राँची, दिनांक.....25-1-17

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–99 दिनांक–07.01.17 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–23/2017 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0).....838.....राँची, दिनांक.....25-1-17

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–23/2017 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0).....838.....राँची, दिनांक.....25-1-17

प्रतिलिपि– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(384)

माननीय श्री शिवशंकर उराँव, स॰ वि॰ स॰ द्वारा दिनांक 28.01.2017 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं॰ पेय–32 का उत्तर

क्रं॰ सं॰	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाले उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गुमला के रायडीह प्रखंड के नवागढ़ पंचायत में विभाग की ओर से हैण्ड पम्प लगाये गये है, जिनमें से अधिकांश बेकार पड़े हैं, और ग्रामीण इसके लाभ से वंचित हैं;	वस्तुस्थिति यह है कि– गुमला जिला अन्तर्गत रायडीह प्रखण्ड के नवागढ़ पंचायत की कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के आधार पर 6529 है। इस क्षेत्र में जलापूर्ति हेतु 98 अदद् नलकूप चालू अवस्था में है। इस प्रकार प्रति 67 व्यक्ति एक चालू चापाकल है जो राष्ट्रीय मानक 150 हिसाब से दुगुना से भी ज्यादा है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त मामले में विभागीय पदाधिकारियों को सूचना दिये जाने के बावजूद समस्या का निदान नहीं किया जा सका हैं;	उक्त कंडिका 01 में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है।
3	यदि उपर्युक्त खंड़ों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त मामले में नवागढ़ पंचायत में हैण्ड पम्प की मरम्मति और पेयजल की समस्या दूर करने में समुचित कदम उठाना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं?	कमांक– 01 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखंड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः 8/वि॰ स॰ (ता॰)–09/2017 137SWSM राँची, दिनांक 27/1/17

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 681 वि॰ स॰ दिनांक 17.01.2017 के क्रम में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.1.17
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः–8/वि॰ स॰ (ता॰)–09/2017 137/SWSM राँची, दिनांक 27/1/17

प्रतिलिपिः– सरकार के उप सचिव/अवर सचिव (प्र॰–5)/विधानसभा कोषांग के प्रभारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.1.17
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

(386)

श्री हरिकृष्ण सिंह, मा0स0वि0 सभा0 द्वारा दिनांक– 28.01.2017 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 30 का उत्तर :–

<table>
<tr><th colspan="2">क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–</th><th>श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि लातेहार जिलान्तर्गत गारू प्रखण्ड में शुद्ध पेयजल का घोर अभाव है;</td><td>वस्तुस्थिति यह है कि लातेहार जिला के गारू प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायतवार चापाकलों से जलापूर्ति की स्थिति निम्न है :–
<table>
<tr><th>क्र0</th><th>पंचायत</th><th>जनसंख्या</th><th>चालू नलकूपों की संख्या</th><th>प्रति व्यक्ति चापाकल</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>रूद</td><td>3952</td><td>103</td><td>30</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>धांगरटोला</td><td>6136</td><td>125</td><td>49</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>कोटाम</td><td>2712</td><td>83</td><td>32</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>कोनवाई</td><td>3525</td><td>86</td><td>41</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>मायापुर</td><td>2401</td><td>40</td><td>60</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>बारेसांड़</td><td>3693</td><td>59</td><td>65</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>घांसी टोला</td><td>3990</td><td>73</td><td>55</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>चोरहा</td><td>4865</td><td>88</td><td>55</td></tr>
</table>
इस प्रकार मानक के आधार पर पूरी आबादी चापाकल से पूर्णतः आच्छादित है। उपरोक्त विवरणी के अतिरिक्त गारू प्रखण्ड में सरयू एक्शन प्लान के तहत ग्राम– रूद, हरातु, कोटाम एवं कारवाई में चार अदद् लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना तथा आदिम जनजाति बाहुल्य ग्राम– हेनार एवं सुरकुमि में दो अदद् लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना स्वीकृत है जो निविद की प्रकिया में है।
NCEF/IAP अन्तर्गत आठ अदद् HYDT में सोलर पम्प आधारित लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना का कार्य निर्माणाधीन है। इस तरह पूर्ण आच्छादन किया जा रहा है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है कि सम्पूर्ण गारू प्रखण्ड अनुसूचित जनजाति बहुल वनाच्छादित एवं पहाड़ी क्षेत्र है और वहाँ के अदिवासी, गिरिजन नदी–नाले के पानी पर निर्भर है;</td><td>अस्वीकारात्मक।
कंडिका– 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड– 1 में वर्णित प्रखण्ड में जलमीनार का निर्माण कर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?</td><td>कंडिका– 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता0प्र0– 01–30/2016– 524 राँची, दिनांक :– 27/1/17

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 682 दिनांक– 17.01.2017 के कम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/1/17

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता0प्र0– 01–30/2016– 524 राँची, दिनांक :– 27/1/17

प्रतिलिपि :– उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/1/17

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव।

387

मा0, स0वि0स0, श्री मनोज कुमार यादव द्वारा दिनांक 28.01.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ–49 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि पथ प्रमण्डल हजारीबाग अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ–33 के 11वें कि0मी0 में मुख्यद्वार (थाना चौक) से हवा महल, प्रखण्ड कार्यालय, रेलवे स्टेशन होते हुए पदमा बाजार तक पथ की स्थिति अत्यंत ही जर्जर है जिससे आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ; 2. क्या यह बात सही है कि खण्ड एक में वर्णित पथ का निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव विगत छः माह से विभाग में लंबित है ; 3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित पथ का निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	पथ की उपयोगिता एवं जनहित के आलोक में इस पथ के प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियान्तर्गत है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0– 54/2017 629(1) राँची/दिनांक : 25/1/17

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 880 दिनांक 22.01.2017 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 20 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

25/1/17

सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0– 54/2017 629(1) राँची/दिनांक : 25/1/17

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

25/1/17

सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(30)

श्री योगेन्द्र प्रसाद, मा०स०वि०स० के द्वारा

दिनांक–28.01.17 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०– पेय–23

संख्याः– पेय–23, क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
प्रश्न 1 – क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत गोमिया प्रखण्ड के होसिर जलापूर्ति योजना से होसिर, देवीपुर, रथटांड़, मियाँबाँध, सबदीटांड़, जीरो प्वांइट, लोहार टोला, ब्राह्मण टोला एवं साड़म बाजार के लोगों को जलापूर्ति की जाती है;	वस्तुस्थिति यह है कि गोमिया प्रखण्ड के होसिर साड़म ग्रामीण पाईप जलापूर्ति जलापूर्ति योजना से होसिर, रथटांड़, मियाबांध, लोहार टोला, ब्राह्मण टोला एवं साड़म बाजार में जलापूर्ति की जाती है।
प्रश्न 2 – क्या यह बात सही है कि उक्त जलापूर्ति योजना आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व प्रारंभ किया गया था, उस समय उक्त क्षेत्र की आबादी 10,000 थी एवं वर्तमान में 30,000 है;	वस्तुस्थिति यह है कि होसिर साड़म ग्रामीण पाईप जलापूर्ति वर्ष 1982–83 में निर्मित है जो अपनी उपयोगी उम्र पूरी कर चूकी है।
प्रश्न 3 – क्या यह बात सही है कि कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्दता विभाग, तेनुघाट के द्वारा उपरोक्त योजना के Re-Organization हेतु संभावित प्राक्कलित राशि 8,00,00,000 (आठ करोड़) रूपये का DPR, ज्ञापांक संख्या–1382, दिनांक–07.12.2015, मुख्य अभियन्ता, सी०डी०ओ०, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को भेजा गया है;	वस्तुस्थिति यह है कि आबादी के अनुसार उक्त सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति नहीं होने के फलस्वरूप पुर्नगठन जलापूर्ति योजना तैयार करने हेतु अधीक्षण अभियन्ता पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, धनबाद के द्वारा परामर्शी को डी०पी०आर० तैयार करने हेतु कार्यादेश निर्गत किया गया है। परामर्शी के द्वारा उक्त योजना का पी०एफ०आर० 9,24,00,809 /– रूपये का प्रमण्डल को समर्पित किया गया है जिसकी जाँच की जा रही है। विहित प्रक्रिया के तहत फिजीविलिटी के आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जायेगी।
प्रश्न 4 – यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उपरोक्त योजना का Re-Organization करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	डी०पी०आर० की तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त पुर्नगठन होसिर ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना निर्माण कार्य DMFT अन्तर्गत कराने हेतु DPR उपायुक्त बोकारो को भेजा जायेगा।

ज्ञापांक– 9/CDO-57/17-133(CDO) दिनांक 25.01.17 ।

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय के ज्ञाप संख्या–557, दिनांक–15.01.17 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

25.1.17

उप सचिव,
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

ज्ञापांक– 9/CDO-57/17-133(CDO) दिनांक 25.01.17 ।

प्रतिलिपि :–मुख्य अभियनता (सी०डी०ओ०) / अवर सचिव, प्रशाखा–09, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषित।

25.1.17

उप सचिव,
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

390

दिनांक 28.01.2017 को माननीय स०वि०स० श्री निरल पुरती द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–59

	प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
	श्री निरल पुरती, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि प0 सिंहभूम जिले का ताँतनगर प्रखण्ड अंतर्गत सालीबुरू चौक से अंगरडीहा सुरलु होते हुये इलि नदी पुलिया तक पथ काफी जर्जर अवस्था में है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त पथ के निर्माण हो जाने से क्षेत्र के आम जनता को प्रखण्ड मुख्यालय के साथ–साथ झींकपानी प्रखण्ड क्षेत्र होते हुये सीधे जिला मुख्यालय आने–जाने में काफी सुविधा होगी;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लोकहित एवं जनहित में उक्त सालीबुरू चौक से अंगरडीहा, सुरलू होते हुये इलि नदी पुलिया तक पथ निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यो?	प्रश्नाधीन पथ की कुल लम्बाई–4.3 कि0मी0 में से 1.5 कि0मी0 का निर्माण PMGSY से प्रस्तावित है। शेष पथांश के लिए मा0स0वि0स0 से अनुशंसा प्राप्त होने पर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–66 / 17 ग्रा0का0मा0 843 राँची / दिनांक– 25-1-17

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–516, दिनांक–14.01.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/01/17

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–66 / 17 ग्रा0का0मा0 843 राँची / दिनांक– 25-1-17

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/01/17

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–66 / 17 ग्रा0का0मा0 843 राँची / दिनांक– 25-1-17

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/01/17

सरकार के उप सचिव।

(391)

मा0, स0वि0स0, श्री जानकी प्रसाद यादव द्वारा दिनांक 28.01.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ–47 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल हजारीबाग के अन्तर्गत प्रखण्ड–बरकट्टा के प्रसिद्ध जी0टी0 रोड झुरझुरी मोड़ से पचफेरी, गैरा, छुतहरीकटिया, तिलोकरी होते हुए पिपचो चौक पी0डब्लू0डी0 पथ तक के पथ निर्माण की मांग 5 वर्षों से चल रही है तथा यह पथ हजारीबाग एवं कोडरमा दो जिले को सीधे जोड़ती है ; 2. क्या यह बात सही है कि इस पथ में काफी छोटे–बड़े वाहन चलते है एवं इस पथ के निर्माण में कोई भी बड़े पुल बनाने की आवश्यकता एवं भूमि अधिग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है । ROW पूरे रोड में उपलब्ध है । विभाग द्वारा पिछले वर्ष Feasibility Report एवं डी0पी0आर0 बनाने का निर्देश भी दिया गया था ; 3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित पथ के निर्माण का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	वर्त्तमान में यह पथ, पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–49 / 2017 630(5) राँची / दिनांक : 25 | 1 | 17

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 779 दिनांक 19.01.2017 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

25/1/17

सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–49 / 2017 630(5) राँची / दिनांक : 25 | 1 | 17

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

25/1/17

सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

393

श्री ढुलू महतो, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–28.01.2017 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–न०–24 का उत्तरः–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद के विभिन्न क्षत्रों में विभाग की ओर से दुकानों का निर्माण कराया गया है;	स्वीकारात्मक। पूर्व के वर्षों में धनबाद नगर निगम के विभिन्न अंचलों में निगम की ओर से 1068 दुकानों का निर्माण कराया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त निर्मित दुकानों की बंदोबस्ती नहीं करायी गयी है;	अस्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त स्थलों पर निर्मित दुकानों को बेरोजगारों को आवंटित किए जाने की योजना है;	वस्तुस्थिति यह है कि निर्मित दुकानों का आवंटन किया जा चुका है।
4	अगर उक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बेकार पड़ी दुकानों के आवंटन करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–3 के आलोक में लागू नहीं।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक :–8 / तारां० / 105 / 2017 / न०वि०आ० 723 राँची, दिनांकः 25/01/17

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०–670, दिनांक–17.01.2017 के प्रसंग में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/01/17
सरकार के उप सचिव।

(394)

श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–28.01.2017 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–न0–25 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अंतर्गत छत्तरपुर अनुमंडल मुख्यालय के 10 राजस्व गाँवों को मिलाकर वर्ष 2015 में संक्रमणशील शहरी क्षेत्र (नगर पंचायत) के रूप में घोषित किया गया है ;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2016–17 में छत्तरपुर नगर पंचायत में जलापूर्त्ति, बस पड़ाव, शहर को स्वच्छ रखने, गंदेजल के निस्तार हेतु सिवरेज–ड्रेनेज, बाजारों का निर्माण, पथों का निर्माण, नालियों का निर्माण जैसे अन्य आधारभूत संरचनाओं के लिए राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं ;	अस्वीकारात्मक है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में छत्तरपुर नगर पंचायत को योजना मद से शहरी परिवहन मद अन्तर्गत 31,62,552/–रू०, नागरिक सुविधा मद में 28,99,007/–रू०, कार्यालय स्थापना हेतु कम्प्यूटर, स्टेशनरी उपस्कर आदि के क्रय हेतु 10,00,000/–रू० आवंटित किये गये है एवं गैर योजना मद से पानी तथा मल–जल सफाई हेतु 3,94,496/–रू० टैंकर से जलापूर्ति हेतु 12,00,000/–रू० तथा चापाकल मरम्मति एवं जीर्णोद्धार हेतु 15,00,000/–रू० आवंटित किया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बताएगी कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में छत्तरपुर नगर पंचायत के आधारभूत संरचनाओं एवं नगरीय सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना बनाना चाहती है ?	नगर विकास एवं आवास विभाग, छत्तरपुर नगर पंचायत में आधारभूत संरचनाओं एवं नगरीय सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु संकल्पबद्ध है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में वित्तीय वर्ष 2016–17 की भांति उपबंधित राशि आवंटित तो की ही जायेगी। साथ ही, विभाग के द्वारा छत्तरपुर नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत परिस्थितिजन्य आवश्यकताओं के आधार पर अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन का भी निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–05/न०वि०/तारांकित–16/2017.....690..... राँची, दिनांक– 24.01.17

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप सं० प्र०–671/वि०स० दिनांक–17.01.2017 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(395)

श्री रामकुमार पाहन, मा0स0वि0 सभा0 द्वारा दिनांक– 28.01.2017 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 35 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत ओरमांझी प्रखण्ड के ग्राम– सिलदीरी, पो0– डहु, थाना– ओरमांझी के श्री गुरूदेव उराँव, पिता– स्व0 झिरगा उराँव की जमीन के खाता संख्या– 45, प्लॉट संख्या– 84, रकबा– 49 डिसमील पर विभाग द्वारा पेयजल हेतु जलमीनार का निर्माण किया गया है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि अंचलाधिकारी, ओरमांझी के प्रतिवेदन के अनुसार ओरमांझी प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम– सिलदीरी में जलमिनार खाता संख्या– 19, प्लाट संख्या– 111 पर निर्मित है जिसका रकवा $6\frac{1}{4}$ डिसमिल है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त जलमिनार खाता संख्या– 45, प्लाट संख्या– 48, रकवा– 49 डिसमिल पर अवस्थित नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि पेयजल आपूर्ति हेतु जलमीनार के लिए भूमि अधिग्रहण का मुआवजा विभाग द्वारा अब तक रैयत को नहीं दिया गया है;	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में बने जलमीनार हेतु अधिग्रहण भूमि का मुआवजा देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका– 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता0प्र0– 01–33/2016– 560 राँची, दिनांक :– 27/1/17
प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 765 दिनांक– 19.01.2017 के कम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता0प्र0– 01–33/2016– 562 राँची, दिनांक :– 27/1/17
प्रतिलिपि :– उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव।

396

मा0, स0वि0स0, श्रीमती गीता कोड़ा द्वारा दिनांक 28.01.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ–43 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1. क्या यह बात सही है कि कोल्हान प्रमंडल अन्तर्गत हाटगम्हरिया–जगन्नाथपुर–मनोहरपुर लं0–194.32 कि0मी0 पथ को NH के रूप में चक्रधरपुर–सोनुवा–मनोहरपुर (उड़ीसा सीमा) लं0–106 कि0मी0 पथ को NH में तब्दील करने संबंधी सैंधान्तिक प्रस्ताव पर विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है ;	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हाटगम्हरिया–जगन्नाथपुर–मनोहरपुर (लम्बाई – 184.32 कि0मी0) एवं चक्रधरपुर–सोनुवा–मनोहरपुर (उड़ीसा सीमा) लं0–106 कि0मी0 को राष्ट्रीय उच्च पथ में तब्दील करने हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है ।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित पथों का निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया अबतक पूर्ण नहीं की गई है ;	1. हाटगम्हरिया–जगन्नाथपुर–मनोहरपुर के पथांश हाटगम्हरिया से बरायबुरू तक कुल 44.8 कि0मी0 का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य दिनांक 31.01.2012 को पूर्ण हो चुका है। शेष पथांश के कुछ भाग में सलाई से मनोहरपुर का IRQP कार्य प्रगति में है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित पथों का निर्माण कार्य प्रारंभ करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	2. चक्रधरपुर–सोनुवा–मनोहरपुर के पथांश 0 कि0मी0 से 35.775 कि0मी0 का चौड़ीकरण एवं मजबूतिकरण कार्य SHAJ द्वारा कराया जा रहा है । कि0मी0 35.775 से कि0मी0 46.00 एवं कि0मी0 57.00 से 84.69 (मनोहरपुर) तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए निविदा अंतिम चरण में है ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–44 / 2017 633(1) राँची / दिनांक : 25/1/17

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 673 दिनांक 17.01.2017 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

25/1/17

सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–44 / 2017 633(1) राँची / दिनांक : 25/1/17

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

25/1/17

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची

(397)

दिनांक 28–01–2017 को श्री निरल पुरती, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–परि०–05 की उत्तर सामग्रीः–

	प्रश्नकर्त्ता श्री निरल पुरती माननीय स०वि०स०		उत्तरदाता श्री सी० पी० सिंह माननीय मंत्री, परिवहन विभाग
1	क्या यह बात सही है कि प० सिंहभूम जिले में वाहन चेकिंग (जाँच) में आवश्यक कागजात एवं हेलमेट नहीं लिये रहने वाले लोगों के वाहन थाना में जब्त कर ली जाती है और उन्हें यातायात नियम के तहत् पाये गये दण्ड (Fine) के अनुरूप दण्ड की राशि जमा करने के लिए जिला परिवहन कार्यालय भेज दिया जाता है;	–	आंशिक स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि वाहन चेकिंग में पकड़े गये दागी व्यक्तियों को दण्ड की राशि स्थल पर ही तत्काल रसीद अथवा ऑनलाईन द्वारा जमा करवाने की व्यवस्था परिवहन विभाग द्वारा नहीं की गई है;	–	अस्वीकारात्मक जिला परिवहन पदाधिकारी, चाईबासा द्वारा वाहन चेकिंग में पकड़े गये व्यक्तियों को राशि की रसीद स्थल पर ही दे दी जाती है तथा कार्यालय में ऑन लाईन/ई–पोस मशीन के द्वारा राशि जमा करायी जाती है।
3	क्या यह बात सही है कि प्रमण्डलीय मुख्यालय जिला होते हुये भी विभाग द्वारा अपरोक्त समुचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण दण्ड की राशि जमा करने हेतु सुदूर ईलाके से जिला कार्यालय आने में लोगों को काफी कठिनाई होती है;	–	अस्वीकारात्मक
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोकहित में उपरोक्त समुचित व्यवस्था करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	–	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट किया गया है।

H'nm
25.01.17
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–परि०वि०(वि०स०प्र०)–10/2017 189 /राँची,दिनांक 25-1-2017

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय राँची को उनके ज्ञापांक–546 दिनांक 14.01.2017 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

H'nm
सरकार के अवर सचिव
25.01.17

16.12.2015

(398)

मा0, स0वि0स0, श्री ताला मराण्डी द्वारा दिनांक 28.01.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ–31 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि साहिबगंज जिला के बोरियो प्रखण्ड के बोरियों चाँदनी चौक खैरवा से बरहेट खैरवा तक वित्तीय वर्ष 2014–15 में 103 करोड़ की लागत से पथ का निर्माण कराया जा रही है ;	यह पथ हरिचरणा मोड से बरहेट (कुल लम्बाई 23.6 कि0मी0) के नाम से स्वीकृत है । इसके स्वीकृति की राशि रूपये 49,72,76,700/– (उनचास करोड़ बहत्तर लाख छिहत्तर हजार सात सौ) है ।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पथ के निर्माण में पड़ने वाले गाँव के रैयतों का जमीन अधिग्रहण किया गया है जिसका मुआवजा अब तक नहीं दिया गया है ; 3. क्या यह बात सही है कि जमाबन्दी रैयतो को अधिग्रहित जमीन का मुआवजा अबतक नहीं मिलने के कारण रैयतो जमीन देने में आनाकानी कर रहे है, जिस कारण पथ निर्माण कार्य बाधित है ; 4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पथ के निर्माण में अधिग्रहित जमीन के मूल रैयतो को मुआवजा का भुगतान कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है, तत्पश्चात् भू–अर्जन की कार्रवाई पूर्ण कर भुगतान किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–31/2017 634(1) राँची/दिनांक : 25/1/17

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 463 दिनांक 14.01.2017 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

25/1/17

सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11-ता0प्र0–31/2017 634(1) राँची/दिनांक : 25/1/17

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

25/1/17

सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(400)

श्री नवीन जायसवाल, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–28.01.2017 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–न०–19 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिला के वार्ड नं0–52 हेथू स्थित अनेक गाँवों की आम जनता का आने जाने का एक मात्र रास्ता एयरपोर्ट के बगल से जाता है, जिसे दिनांक–27.12.16 को अर्मी के द्वारा जबरन गड्ढा खोदकर रास्ता बंद करने का प्रयास कर आवागमन कार्य को प्रभावित किया गया है;	स्वीकारात्मक है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वार्ड नं0–52 में स्थित गाँव के ग्रामीणों को आवागमन हेतु सड़क बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों?	राँची नगर निगम से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार उपरोक्त सड़क की भूमि सेना (आर्मी) की निजी सम्पत्ति है। अतः सेना से अनापत्ति (NOC) प्राप्त होने के पश्चात् ही सड़क का निर्माण किया जाना संभव होगा।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–05 / न०वि० / तारांकित–11 / 2017 576 राँची, दिनांक– 20/01/17

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप सं० प्र०–543 / वि०स० दिनांक–14.01.2017 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/01/17
सरकार के अवर सचिव।

401

मा0, स0वि0स0, श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता द्वारा दिनांक 28.01.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ–09 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद मुख्य सड़क वंशी विगहा मोड़ से (नहर मोड़) पथरा होते हुए हरिहरगंज (NH 98) दुनटीया मोड़ तक निर्माण कार्य लात्मा कन्सट्रक्शन के द्वारा कराया जा रहा है ;	हुसैनाबाद–पथराघाट पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुर्ननिर्माण कार्य संवेदक तांतिया कन्सट्रक्शन द्वारा किया जा रहा है ।
2. क्या यह बात सही है कि संवेदक द्वारा काफी घटिया कार्य कराया जा रहा है पी.सी.सी. ढलाई में पेमर मशीन का उपयोग न करके लकड़ी का पटा से बनाया गया है ; 3. क्या यह बात सही है कि निर्माण के साथ ही पी.सी. सी. सड़क में दरार हो गया है ; 4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जांच कराकर दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई तथा संवेदक को काली सूची में डालने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	इस मामले की जाँच मुख्यालय से टीम गठित कर की जाएगी । अनियमितता मिलने पर संवेदक सहित दोषी पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–09/2017 6321(1) राँची/दिनांक : 25/1/17

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 282 दिनांक 12.01.2017 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

25/1/17

सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–09/2017 6321(1) राँची/दिनांक : 25/1/17

प्रतिलिपि:– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

25/1/17

(४०२)

श्री चम्पाई सोरेन, मा0स0वि0 सभा0 द्वारा दिनांक– 28.01.2017 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 29 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		**श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–**
1.	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसवाँ जिलान्तर्गत राजनगर प्रखण्ड के राजनगर हाट (बाजार) में शुद्ध पेयजल की घोर समस्या है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राजनगर हाट बाजार में लगभग आबादी 300 है। यहाँ 05 अदद् नलकूपों द्वारा जलापूर्ति की जाती है जो मानक के अनुसार पर्याप्त है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड– 1 में वर्णित हाट के लोगों को हाट में स्थित चापाकल पर निर्भर रहते है, जो हमेशा खाराब रहता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है;	खण्ड– 1 में स्थिति स्पष्ट की गयी है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राजनगर प्रखण्ड के राजनगर हाट बाजार में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत जलमीनार बनाकर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने की विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार प्रखण्ड मुख्यालय पंचायत को सर्वोच्च प्राथमिकता पर आच्छादित करने के लिए कृत संकल्पित है। माननीय विधायक, श्री चम्पाई सोरेन ने अपनी प्रथम प्राथमिकता इस क्षेत्र की योजना को दिया है। इस कम में राजनगर पाईप जलापूर्ति योजना रूपये 15.62217 करोड़ की लागत से वृहत् योजना का तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है। योजना प्रशासनिक स्वीकृति की प्रकिया में है। इसी वित्तीय वर्ष में योजना की स्वीकृति कर कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
<u>पेयजल एवं स्वच्छता विभाग</u>

ज्ञापांक :– 7/ता0प्र0– 01–29/2016– 499 राँची, दिनांक :– 27/1/17
प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 683 दिनांक– 17.01.2017 के कम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/1/17
(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता0प्र0– 01–29/2016– 499 राँची, दिनांक :– 27/1/17
प्रतिलिपि :– उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/1/17
(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव।
27/01/17

(403)

श्री नवीन जयसवाल, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–28.01.2017 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–न०–18 का उत्तरः–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि राँची जिलांतर्गत विभाग द्वारा जलापूर्ति योजनान्तर्गत सभी जगह पाईप बिछाकर पानी देने का प्रावधान है इसके बावजूद अभी तक वार्ड–52 में स्थित हुण्डरू, हेथू, हराटांड, छोटा घाघरा एवं पोखरटोली में इस योजना के तहत पाईप बिछाकर पानी देने का कोई व्यवस्था नहीं की गयी है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। राँची शहर के वार्ड नं०–52 में स्थित हुण्डरू, हेथू, हराटांड, छोटा घाघरा एवं पोखरटोली में पाईप बिछाकर पानी देने की व्यवस्था JnNURM अंतर्गत उक्त क्षेत्रों में नहीं की गई है। नगर निगम द्वारा उक्त क्षेत्रों में आवश्यक उच्च प्रवाही नलकूप एवं चापाकल की व्यवस्था की गई है। JnNURM अंतर्गत निर्माणाधीन राँची शहरी जलापूर्ति योजना पूर्ण होने के उपरांत ही उक्त क्षेत्रों में पाईप जलापूर्ति हेतु स्त्रोत उपलब्ध हो सकेगा।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जलापूर्ति योजना के तहत उक्त स्थान पर पाईप बिछाकर पानी देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक :–5/वि०स०/तारांकित–18/03/2017/न०वि०आ० 613 राँची, दिनांक: 20/01/17

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०–539, दिनांक–14.01.2017 के प्रसंग में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।
20/01/17

406

श्री नलिन सोरेन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0–28.01.2017 को पूछे जाने वाला तारांकित
प्रश्न संख्या ग्राम–70

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री नलिन सोरेन, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि दुमका जिला का काठीकुण्ड प्रखंड आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि काठीकुण्ड प्रखंड अंतर्गत पंचायत बिछिया पहाड़ी के ग्राम बिछिया पहाड़ी से रनुडीह गुमरा नदी पर अबतक उच्चस्तरीय पुल निर्माण नहीं कराया गया है ;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त पुल का निर्माण नहीं होने से निर्माण स्थल के अगल– बगल पच्चीसों गाँव/टोले के ग्रामीणों को प्रखंड मुख्यालय व अन्य कार्यो के लिए आवागमन में काफी तकलीफ झेलनी पड़ती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बिछिया पहाड़ी से रनुडीह के बीच गुमरा नदी पर ग्रामीणों को आवागमन की समस्या से निजात के लिए उच्चस्तरीय पुल का निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कब तक, नही, तो क्यों ?	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में एक पुल की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। अगले वित्तीय वर्ष में राशि की उपलब्धता के आधार पर माननीय स0वि0स0 की अनुशंसा प्राप्त होने पर प्रश्नाधीन पुल की स्वीकृति के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 21/2017/ग्रा0का0 852 राँची, दिनांक : 25-1-17

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–550 वि0स0 दिनांक 15.01.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/01/17

(नन्द कुमार ठाकुर)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 21/2017/ग्रा0का0 852 राँची, दिनांक : 25-1-17

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/01/17

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 21/2017/ग्रा0का0 852 राँची, दिनांक : 25-1-17

प्रतिलिपि : विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/01/17

सरकार के उप सचिव

(407)

श्री अमित कुमार, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0–28.01.2017 को पूछे जाने वाला तारांकित
प्रश्न संख्या ग्राम–36

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री अमित कुमार, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत बेलजारा एवं राहे–सताकी रोड के बीच दोनों पंचायतों हेतु पुल का निर्माण अति आवश्यक है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त स्थल पर पुल नहीं रहने के कारण वर्षा के दिनों में लगभग पचास हजार जनता का आवागमन में भारी परेशानी होती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त स्थल पर पुल का निर्माण शीघ्र कराने हेतु विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में एक पुल की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। अगले वित्तीय वर्ष में बजटीय उपबंध के आलोक में माननीय स0वि0स0 से अनुशंसा प्राप्त होने पर प्रश्नाधीन पुल की स्वीकृति के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 09/2017/ग्रा0का0 851 राँची, दिनांक : 25-1-17

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–30 वि0स0 दिनांक 12.01.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नन्द कुमार ठाकुर)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 09/2017/ग्रा0का0 851 राँची, दिनांक : 25-1-17

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 09/2017/ग्रा0का0 851 राँची, दिनांक : 25-1-17

प्रतिलिपि : विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

(407)

श्री अमित कुमार, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0–28.01.2017 को पूछे जाने वाला तारांकित
प्रश्न संख्या ग्राम–36

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री अमित कुमार, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत बेलजारा एवं राहे–सताकी रोड के बीच दोनों पंचायतों हेतु पुल का निर्माण अति आवश्यक है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त स्थल पर पुल नहीं रहने के कारण वर्षा के दिनों में लगभग पचास हजार जनता का आवागमन में भारी परेशानी होती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त स्थल पर पुल का निर्माण शीघ्र कराने हेतु विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में एक पुल की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। अगले वित्तीय वर्ष में बजटीय उपबंध के आलोक में माननीय स0वि0स0 से अनुशंसा प्राप्त होने पर प्रश्नाधीन पुल की स्वीकृति के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 09/2017/ग्रा0का0 851 राँची, दिनांक : 25-1-17

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–30 वि0स0 दिनांक 12.01.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नन्द कुमार ठाकुर)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 09/2017/ग्रा0का0 851 राँची, दिनांक : 25-1-17

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 09/2017/ग्रा0का0 851 राँची, दिनांक : 25-1-17

प्रतिलिपि : विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

(408)

श्री राज सिन्हा, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–28.01.2017 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–न०–10 का उत्तरः–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बेकारबाँध, धनबाद में एक पार्क का निर्माण विभागीय स्तर से कराया गया था;	अस्वीकारात्मक। बेकारबाँध, में किसी पार्क का निर्माण विभाग स्तर से नहीं कराया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त पार्क का उपयोग नहीं किए जाने से राजस्व की क्षति हो रही है;	अस्वीकारात्मक।
3.	क्या क्या यह बात सही है कि पार्क के देख–रेख समुचित प्रबंधन की व्यवस्था नहीं है, जिससे नागरिकों, बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है;	अस्वीकारात्मक।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पार्क के पुनरूद्धार और इससे राजस्व की वृद्धि हेतु कदम उठाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–5 / न०वि० / तारांकित–04 / 2017 488 राँची, दिनांक :– 19/01/17

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–309 / वि०स० दिनांक–12.01.2017 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/1/17.
सरकार के अवर सचिव।

(410)

श्री जयप्रकाश सिंह भोक्ता, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक–28.02.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–31 का उत्तरः–

क्या मंत्री पेयजल एंव स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		**श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाला उत्तरः–**
1	क्या यह बात सही है कि चतरा जिला अन्तर्गत हेरू जलाशय का जीर्णोद्धार एवं विस्तारीकरण नहीं होने से पर्याप्त जल संजय नहीं हो पाता है।	वस्तुस्थिति यह है कि हेरू जलाशय का निर्माण वर्ष 1971–72 में किया गया है। इस जलाशय से 1000 लाख गेलन जल की आपूर्ति होती थी। आच्छादन क्षेत्र की आबादी बढ़ जाने के कारण 2009–10 में चतरा शहरी जलापूर्ति योजना के पुनगर्ठन के फलस्वरूप इसमें दो अतिरिक्त ESR (ब्लॉक परिसर एवं काली पहाड़ी) जोड़ा गया जिससे जलापूर्ति की मांग बढ़कर 4.25 लाख गैलन हो गया है। पिछले वर्ष NTPC एवं जिला प्रशासन इस CSR मद से हेरू डैम का 100m ×60m ×80m गहरीकरण का कार्य कराया गया था जिससे डैम के Storage Capacity में 10800 m3 की वृद्धि हुई जिससे वर्त्तमान में जलापूर्ति की जा रही है। इस डैम के जल भंडारण क्षमता बढाने/ Desilting आदि के लिए जल संसाधन विभाग से अनुरोध किया गया है। जल संसाधन विभाग से DPR प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार Desilting का कार्य Deposit work के तहत् कराया जा सकेगा।
2	क्या यह बात सही है कि गर्मी के मौसम में शहरीवासियों को पेयजल की समस्या से जुझना पड़ता है।	उपर्युक्त स्थिति कंडिका–1 में स्पष्ट है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार हेरू जलाशय का जीर्णोद्धार एवं विस्तारीकरण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त स्थिति कंडिका–1 में स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक–7/ता0 प्र0–01–31/2016– 512 राँची, दिनांक– 27/1/17

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापं संख्या प्र0–684दिनांक –17.01.2017 के कम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/1/17

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–7/ता0 प्र0–01–13/2015– 512 राँची, दिनांक– 27/1/17

प्रतिलिपि–उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा–05, पेयजल स्वच्छता विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/1/17

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के उप सचिव
27/01/17

(411)

श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–28.01.2017 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–न०–04 का उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के हुसैनाबाद नगर पंचायत में कार्यपालक पदा0 का पद विगत 3 वर्षो से रिक्त है;	अस्वीकारात्मक। वर्त्तमान में श्री सुरजीत कुमार सिंह, झा0प्र0से0, अनुमंडल पदाधिकारी, हुसैनाबाद को उपायुक्त, पलामू के आदेश ज्ञापांक–345 दिनांक–10.06.2016 द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी, हुसैनाबाद नगर पंचायत (अतिरिक्त प्रभार) का कार्य करने हेतु कार्यहित में प्राधिकृत किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि पद रिक्त रहने से विकास कार्य प्रभावित हो रहा है;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कार्यपालक पदा0 का पदस्थापन अविलम्ब कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	सहायक नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक–4855 दिनांक–31.08.2016 के द्वारा अधियाचना कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के माध्यम से झारखण्ड लोक सेवा आयोग को भेजी गई है। आयोग से नियुक्ति की अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–1 वि0मं0प्र0–2/2017/न0वि0आ0..... 729 राँची, दिनांक– 27/01/17

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय के पत्र ज्ञाप संख्या–308 दिनांक–12.01.2017 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/01/17

(राहुल कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

D_driv_Rahul_rk_Vidhan_8

(412)

दिनांक 28.01.2017 को माननीय स०वि०स० श्री ताला मराण्डी द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–41

	प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
	श्री ताला मराण्डी, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि साहिबगंज जिला के बोरिया,मंडरों एवं तालझारी प्रखण्ड एवं गोड्डा जिला के बोआरीजोर प्रखण्ड अधिसूचित क्षेत्र, दामिन–ए–कोह, पहाड़िया एवं आदिवासी बाहुल्य श्रेणी में आते है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त प्रखण्डों के ग्रामों में आवागमन के लिए वन क्षेत्र अन्तर्गत आने के कारण किसी भी तरह का सम्पर्क पथ अभीतक नहीं बन पाया है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिये जाने के कारण प्रखण्ड स्तर के पथ योजनाएँ, विधायक निधि समेत ग्रामीण कार्य की सड़कें भी नहीं बन पा रही है;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आजादी के 60 दशक के बाद भी इन पहाड़िया–आदिवासी गाँवों में सम्पर्क पथों के निर्माण के लिए वन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग के साथ से संयुक्त रूप से पथ विहिन ग्रामों को चिहिन्त कर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करते हुए पथ निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यो?	मा०स०वि०स० से अनुशंसा प्राप्त होने पर वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–67 / 17 ग्रा०का०मा०.....841.....राँची / दिनांक–.....25-1-17

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा०वि०स० सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–465, दिनांक–14.01.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/01/17

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–67 / 17 ग्रा०का०मा०.....841.....राँची / दिनांक–.....25-1-17

प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/01/17

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–67 / 17 ग्रा०का०मा०.....841.....राँची / दिनांक–.....25-1-17

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/01/17

सरकार के उप सचिव।

413

श्रीमती गंगोत्री कुजूर, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 28.01.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम– 44 का उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में पंचायत प्रतिनिधियों को अब तक समुचित अधिकार नहीं दिए गए हैं, जिससे उनमें निराशा है ?	अस्वीकारात्मक ।
(2) क्या यह बात सही है कि जिन विभागों के वित्तीय जवाबदेही और अन्य अधिकार, दायित्व पंचायत प्रतिनिधियों को सौंपे गए हैं, उनकी लिखित कॉपी, दस्तावेज उन्हें उपलब्ध नहीं कराए गए हैं और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उनका अनुपालन नहीं कराया जाता है ?	अस्वीकारात्मक ।
(3) क्या यह बात सही है कि वर्तमान में चौदह विभागों के अधिकार पंचायत प्रतिनिधियों को प्राप्त हैं, पर तकनीकी कारणों और प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण वे उनका उपयोग करने से वंचित हैं ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । अब तक कुल 14 विभागों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई है ।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पंचायत प्रतिनिधियों को प्रदत्त अधिकारों और उसके उपयोग, अनुपालन में आने वाली बाधाओं की पहचान कर उसे दूर करने के संबंध में जाँच करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पंचयातों को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग पंचायतों के द्वारा किया जाना है । पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को दी जा रही प्रशिक्षण में उन्हें इस संबंध में जानकारी प्रदान की जा रही है ।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

ज्ञापांकः–1स्था(वि0)–14/2017–317–/, राँची, दिनांकः–25.01.17

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक संख्या 466 दिनांक 14.01.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/01/2017

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांकः– –1स्था(वि0)–14/2017–317–/, राँची, दिनांकः–25.01.17

प्रतिलिपिः– मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/ माननीय मंत्री, पंचायती राज, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

25/01/2017

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांकः– –1स्था(वि0)–14/2017–317–/, राँची, दिनांकः–25.01.17

प्रतिलिपिः– उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), पंचायती राज, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25/01/2017

सरकार के उप सचिव ।

अनिल/25.01.2017

417

मा0, स0वि0स0, श्री मनोज कुमार यादव द्वारा दिनांक 28.01.2017 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ–52 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत चौपारण प्रखण्ड के मलिकाना एवं लराही के बीच कोयल नदी पर उच्च स्तरीय सेतु का निर्माण कराना जनहित में अति आवश्यक है ; 2. क्या यह बात सही है कि खण्ड एक में वर्णित उच्च स्तरीय सेतु के निर्माण हेतु मुख्य अभियंता केन्द्रीय निरूपण संगठन पथ निर्माण विभाग झारखण्ड द्वारा तकनिकि अनुमोदन प्रदान कर पत्रांक–1168 दिनांक 18.11.16 को प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सचिव पथ निर्माण झारखण्ड को पत्र लिखा हे जो अबतक लंबित है ; 3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शीघ्र ही प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर खण्ड एक में वर्णित कोयल नदी पर उच्च स्तरीय सेतु का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	प्रस्तावित पुल पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व के पथ के आरेखण में नहीं है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0– 52 / 2017 631 (1) राँची / दिनांक : 25 | 1 | 17

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 879 दिनांक 22.01.2017 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

25/1/17

सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0– 52 / 2017 631 (1) राँची / दिनांक : 25 | 1 | 17

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

25/1/17

सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(415)

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.01.2017 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम–45 की उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उग्रवाद प्रभावित पीरटांड़ प्रखण्ड में पारसनाथ विकास योजना संचालित हैं, जिसका मुख्य केन्द्र बिन्दु स्थल पीरटांड़ है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त योजना हेतु उपायुक्त कार्यलय (जिला योजना शाखा) गिरिडीह के पत्रांक–343, दिनांक–28.09.2015 द्वारा खण्ड–01 में वर्णित प्रखण्ड का कुल–11 (ग्यारह) सड़क का निर्माण कार्य योजना से संबंधित DPR स्वीकृति हेतु भेजी जाने के बावजूद विभागीय अधिकारियों/पदाधिकारियों के लापरवाही के कारण अबतक लंबित हैं;	अस्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित योजनान्तर्गत उक्त क्षेत्र में एक भी सड़क निर्माण कार्य योजना अबतक स्वीकृत नहीं की गई हैं;	अस्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–02 में वर्णित सड़क निर्माण कार्य योजना को चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	पारसनाथ विकास योजना अन्तर्गत 36 पथों की स्वीकृति दी जा चुकी है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यथा आवश्यक पथों को चिन्हित कर बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–74/2017 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)...844...राँची, दिनांक...25-1-17

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–517 दिनांक–14.01.17 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/01/17

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–74/2017 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)...844...राँची, दिनांक...25-1-17

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/01/17

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–74/2017 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)...844...राँची, दिनांक...25-1-17

प्रतिलिपि– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/01/17

सरकार के उप सचिव।

416

श्रीमती जोबा मांझी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.01.17 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम्य–81 की उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती जोबा मांझी, माननीय स0वि0स0	**श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग**
1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मनोहरपुर प्रखण्ड के झरबेड़ा पंचायत में स्थित भलडुंगरी से सिदुवा तक लगभग 05 कि0मी0 की सड़क वर्षों से जीर्णोद्धार के अभाव में आवागमन बाधित हो रही है?	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पथ काफी महत्वपूर्ण है?	
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित सड़क को वित्तीय वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत जीर्णोद्धार करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नही, तो क्यों?	प्रश्नाधीन पथ में काफी पहले ग्रेड–1 कार्य हुआ था जिसकी स्थिति वर्त्तमान में खराब है। अगले वित्तीय वर्ष में बजटीय उपबंध एवं मा0स0वि0स0 से प्राप्त प्राथमिकता सूची के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–114 / 2017 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)..846..राँची, दिनांक25-1-17

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–881 दिनांक–22.01.17 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–114 / 2017 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)..846..राँची, दिनांक25-1-17

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–114 / 2017 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)..846..राँची, दिनांक25-1-17

प्रतिलिपि– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(417)

श्री आलोक कुमार चौरसिया, मा0स0वि0 सभा0 द्वारा दिनांक– 28.01.2017 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 27 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिले के मेदिनीनगर प्रखण्ड के ग्राम– निमिया, बैरिया, जोड़, खनवा आदि गाँव में पेयजल स्तर नीचे चले जाने के कारण लोगों के बीच घोर पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है तथा चापानल सूख गये है;	वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत् ग्रामों में जलस्तर एवं जलापूर्ति की स्थिति निम्न है :– क्र ग्राम जनसंख्या औसत जलस्तर चालू नलकूप 1. निमिया 2171 18 मीटर 18 2. बैरिया 2685 19 मीटर 35 3. जोड़ 2357 17 मीटर 17 4. खनवा 1835 12 मीटर 13 वर्तमान में उक्त ग्रामों में पेयजल का सुविधा उपलब्ध है, परन्तु ग्रीष्मकाल में ग्राम– बैरिया, निमीयॉ एवं जोड़ के कुछ हिस्सों में जलस्तर नीचे चला जाता है। तत्काल जिला प्रशासन से समन्वय कर सभी घरों में rain water Harvesting and recharging कूप, तलाव इत्यादि का निर्माण किया जा सकता है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त गाँव में गर्मी के दिनों में टैंकर से पानी आम नागरिकों को पहुँचाई जाती है;	विभाग द्वारा टैंकर से जलापूर्ति नहीं की जाती है। गृह (आपदा) द्वारा उपायुक्तों को वित्तीय वर्ष 2016–17 में राशि आवश्यकता के पूर्ति के लिए किया गया था।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अमानत नदी में इंटेकवेल तथा पानी टंकी का निर्माण कर उपरोक्त गाँव तक पेयजल आपूर्ति हेतु पाईप लाईन बिछाकर जलापूर्ति सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्त्तमान में वर्णित ग्रामों में सतही जलस्त्रोत (कोयल नदी) से पेयजलापूर्ति योजना के निर्माण हेतु परामर्शी चयन का प्रस्ताव दिनांक–20.01.2017 को विभाग को उपलब्ध कराया गया है जिसके आलोक में परामर्शी चयन की कार्रवाई की जा रही है। DPR तैयार होने पर संसाधन उपलब्धता के अनुरूप निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता0प्र0– 01–25/2016– 502 राँची, दिनांक :– 27/1/17

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 555 दिनांक– 15.01.2017 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता0प्र0– 01–25/2016– 502 राँची, दिनांक :– 27/1/17

प्रतिलिपि :– उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची

418

दिनांक 28–01–2017 को श्री योगेश्वर महतो, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–परि०–01 की उत्तर सामग्रीः–

	प्रश्नकर्त्ता **श्री योगेश्वर महतो** **माननीय स०वि०स०**		*उत्तरदाता* **श्री सी० पी० सिंह** **माननीय मंत्री, परिवहन विभाग**
1	क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य में दौड़ रही ज्यादातर जेसीबी एक्सकावेटर और अन्य निर्माण मशीनरी पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। इस पर न तो परिवहन पदाधिकारी की नजर है और न ही पुलिस की, एक रजिस्ट्रेशन नंबर की गाड़ी की आड़ में कई बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी आराम से चल रही है, जिसका ज्यादातर इस्तेमाल खनन् माफिया कर रहे हैं;	–	अस्वीकारात्मक । जिलों में JCB एक्सकावेटर और अन्य मशीनीरी का निबंधन किया जाता है।
2	क्या यह बात सही है कि बिना रजिस्ट्रेशन व परमिट के इन वाहनों के कारण सरकारी खजाने में हर साल भारी राजस्व की क्षति हो रही है;	–	अस्वीकारात्मक । राजस्व की क्षति रोकने हेतु नियमित जाँच की जाती है तथा बिना परमिट/निबंधन के चल रहे वाहनों के पकड़े जाने पर मोटरवाहन अधिनियम की धाराओं के तहत शमन की राशि वसूल की जाती है।
3	क्या यह बात सही है कि हादसा होने पर ऐसी गाड़ियों के मालिक/चालक/उप–चालक को ढूंढना नामुमकिन होता है, जिसका फायदा उठाते हुए वाहन मालिक रजिस्टर्ड वाहन के कागजात दिखाकर इसे छुड़ा लेते हैं;	–	अस्वीकारात्मक ।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करते हुए सरकारी राजस्व के नुकसान को रोकने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	–	स्थिति उपर्युक्त कण्डिका में स्पष्ट की गयी है।

सरकार के अवर सचिव
25.01.17

ज्ञापांक–परि०वि०(स०प्र०)–04/2017 188 **/राँची,दिनांक** 25-01-2017

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय राँची को उनके ज्ञाप संख्या–27 दिनांक 07.01.2017 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई एवं प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव
25.01.17

16.12.2015

(419)

श्री अरूप चटर्जी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.01.17 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम–31 की उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री अरूप चटर्जी, माननीय स0वि0स0	**श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग**
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत बलियापुर प्रखण्ड के केन्दुवाटांड़ मोड़–बड़ादहा–सिन्दरी (आर0ई0ओ0) पथ अत्यन्त ही जर्जर अवस्था में है, जबकि यह पथ आवागमन के दृष्टिकोण से अत्यंत ही उपयोगी है;	स्वीकारात्मक।
2. यदि उपरोक्त प्रश्न खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अविलम्ब उक्त पथ का जीर्णोद्धार/नवीनीकरण कराने की मंशा रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रश्नाधीन पथ के संबंध में अगले वित्तीय वर्ष में बजटीय उपबंध एवं मा0स0वि0स0 से प्राप्त प्राथमिकता सूची के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–97/2017 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)..840..राँची, दिनांक..25-1-17

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–300 दिनांक–12.01.17 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–97/2017 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)..840..राँची, दिनांक..25-1-17

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–97/2017 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)..840..राँची, दिनांक..25-1-17

प्रतिलिपि– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(421)

श्री हरिकृष्ण सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0–28.01.2017 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–75

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री हरिकृष्ण सिंह, माननीय स0वि0स0	**श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।**
1. क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला के प्रखण्ड लातेहार के ग्राम–ललगड़ी एवं ग्राम–सुकरी के टोला जोरी सखुआ के बीच सुकरी नदी पर पुल का निर्माण नहीं हुआ है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि वर्णित खण्ड–1 में पुल का निर्माण हो जाने से मनिका प्रखण्ड के दर्जनों गाँव लातेहार जिला मुख्यालय से जुड़ जायेगा एवं दूरी भी कम हो जायेगी ;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित पुल का निर्माण आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 में कराना चाहती है, यदि हाँ तो, कब तक, नही, तो क्यों ?	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में एक पुल की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। अगले वित्तीय वर्ष में राशि की उपलब्धता के आधार पर प्रश्नाधीन पुल की स्वीकृति के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 25/2017/ग्रा0का0 853 राँची, दिनांक : 25-1-17

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–666 वि0स0 दिनांक 17.01.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नन्द कुमार ठाकुर)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 25/2017/ग्रा0का0 853 राँची, दिनांक : 25-1-17

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 25/2017/ग्रा0का0 853 राँची, दिनांक : 25-1-17

प्रतिलिपि : विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

(422)

श्री जगरनाथ महतो, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक– 30.01.17 को पूछे जाने वाला ता0प्र0सं0–का015 का कंडिकावार उत्तर प्रतिवेदन।

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है कि गिरीडीह जिलान्तर्गत खोरीमहुआ को अनुमंडल बनाया गया था, जिसके क्षेत्राधिकार में पाँच प्रखण्ड है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त अनुमंडल खोरीमहुआ पाँच प्रखण्डों के बीच वो आम जनता के सुविधायुक्त स्थान में है;	अस्वीकारात्मक। अनुमण्डल के पाँच प्रखण्डों के भौगोलिक क्षेत्र के बीच में खोरीमहुआ स्थित नहीं है।
3.	क्या यह बात सही है कि खोरीमहुआ में अनुमंडल कार्यालय को आवासीय भवन निर्माण हेतु भूमि चयन कर अनापत्ति प्रमाण–पत्र भी लिया जा चुका है, फिर भी अनुमंडल खोरीमहुआ को मौजा डोमायडीह अनुमुंडल धनवार किया जा रहा है, जहाँ प्रस्तावित भूमि कृषि फार्म की है;	स्वीकारात्मक। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) के पत्रांक– 4294/कृ0 दिनांक– 20.11.16 द्वारा गिरीडीह जिला के धनवार प्रखण्ड स्थित मौजा डोमायडीह, थाना नं0–191अन्तर्गत कृषि विभाग द्वारा अधिग्रहित 24.90 एकड़ भूमि में से 09.89 एकड़ भूमि पर नवसृजित अनुमंडल खोरीमहुआ के कार्यालय एवं आवासीय भवन निर्माण हेतु प्राप्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र के आलोक में उपायुक्त गिरिडीह के ज्ञापांक–99/रा0दिनांक–11.01.2017द्वारा अनुमण्डलीय कार्यालय एवं आवासीय भवन निर्माण हेतु राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पक्ष में अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की गई है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खोरीमहुआ में ही कार्यालय आवासीय भवन का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यो?	भवन निर्माण विभाग के पत्र संख्या–600(भ) दिनांक– 09.01.17 द्वारा नवसृजित अनुमंडल खोरीमहुआ, गिरीडीह का **कार्यालय भवन** निर्माण कार्य की कुल राशि 7,19,24,500.00 (सात करोड़, उन्नीस लाख, चौबीस हजार पाँच सौ रूपये) तथा पत्रांक–601(भ), दिनांक–09.01.2017 द्वारा **आवासीय भवन** निर्माण कार्य की कुल राशि 7,97,08,800.00 (सात करोड़, सन्तानवे लाख, आठ हजार, आठ सौ रूपये) मात्र का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान की गयी है, तदनुसार अनुमंडल कार्यालय तथा आवासीय भवन निर्माण प्रारम्भ करने की दिशा में अग्रत्तर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार,
भवन निर्माण विभाग।

ज्ञापांकः–भ0–03–विधासी–(ता0प्र0)11/17 – 251(भ) राँची, दिनांकः– 24-1-17

प्रतिलिपिः– श्री कमलेश, उप सचिव,झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके पत्रांक–435 दिनांक–14.01.2017 के प्रसंग में (दो सौ प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/1/17

उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(424)

दिनांक 28.01.2017 को माननीय स०वि०स० श्री अशोक कुमार द्वारा सदन में पूछा जाने वाला

तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम– 25

	प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
	श्री अशोक कुमार, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि गोड्डा के मेहरमा प्रखंड अंतर्गत मड़पा से खुटहरी, रजौन आर0ई0ओ0 पथ भाया लावाभुजौनी, बलिया पथ राज्य संपोषित योजना से स्वीकृत है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है, कि उक्त वर्णित पथ की स्वीकृति के बावजूद भी आज तक उसका निर्माण कार्य आधा–अधूरा ही पड़ा हुआ है, जिसके कारण आम जनता को आवागमन में कठिनाई हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वर्णित पथ का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यो?	कार्य का एकरारनामा विखंडित करते हुए जमानत की राशि जब्त की जा चुकी है। अवशेष कार्य के पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति पर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–37 / 17 ग्रा0का0मा0.....859.....राँची / दिनांक–.....25-1-17

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–298, दिनांक–12.01.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/01/17

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–37 / 17 ग्रा0का0मा0.....859.....राँची / दिनांक–.....25-1-17

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/01/17

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–37 / 17 ग्रा0का0मा0.....859.....राँची / दिनांक–.....25-1-17

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/01/17

सरकार के उप सचिव।